खण्ड–15, अंक–02
गुरुवार, चैत्र 02, शक संवत् 1928
(23 मार्च, 2006 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र 2006)

(खण्ड 15 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषय को उठाये जाने का प्रयास	1–4
प्रश्नोत्तर	4–18
कतिपय विधायकों द्वारा 'लाभ के पद' धारण करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	19–21
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं...	21–22
राज्य के चिकित्सक विहीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में बेरोजगार बी0ए0एम0एस0 डिग्री धारकों की नियुक्ति किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
जनपद नैनीताल न्याय पंचायत ओखलाढूंगा के अत्यधिक पिछड़े गांवों के लिए नेराघूरा या तिगौनिया से स्रोत पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	23
जनपद अल्मोड़ा के ग्राम पंचायत झलाहाट हेतु पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला एवं मुन्स्यारी को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	23–24
जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर के गरूड़ चट्टी नामक स्थान में मोटर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	24
जनपद रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	24–25
जनपद चमोली के गैरसैंण वि0ख0 के अन्तर्गत ग्राम बड़ेथ को भू–स्खलन से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25
नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	25–27
शराब माफियाओं द्वारा मंत्रिमंडल के निर्णय से पहले ही ड्राफ्ट बनने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	27–33

विषय	पृष्ठ संख्या

वर्ष 2004–05 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त एवं विनियोग लेखे–(सदन के पटल पर रखे गये) 33

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 33

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) ... 33

उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 34

उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 34

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 34

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 34

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तारण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) ... 35

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 35

उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 35

उत्तरांचल राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 35

उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 36

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) 36

मा0 सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ... 36

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद नैनीताल के भुजियाघाट में अत्यधिक क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	36
जनपद नैनीताल म खुर्पाताल [illegible] जोग्यूड़ा व उसके आस–पास गाँवों को भू–कटाव से सुरक्षा के सम्बन्ध मं याचिका (उपस्थापित)	37
जनपद पौड़ी गढ़वाल के [illegible] नगरपालिका कोटद्वार के मानपुर [illegible], [illegible] क्षेत्र के प्रमुख मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	37
देहरादून विधान सभा के अन्तर्गत शान्ति विहार, मित्रलोक कॉलोनी, श्री देव सुमन नगर मलिन बस्ती आदि क्षेत्र में स्थित गन्दे नाले की नियमित एवं समुचित सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	37
रा0उ0मा0वि0 चौमूधार अल्मोड़ा के उच्चीकरण उदघाटन समारोह में श्री अजय भट्ट, स0वि0स0 को न बुलाये जाने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	37–41
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	42–60
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)–	60–77
नियम–51 के अन्तर्गत सूचना	77

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा० अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. " इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12. " कौल दास
13. " गगन सिंह
14. " गोपाल सिंह
15. " गोबिन्द लाल
16. " गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17. " चन्द्र शेखर
18. " जोत सिंह
19. " तसलीम अहमद
20. " तिलक राज बेहड़
21. " तेजपाल सिंह रावत
22. " दिनेश अग्रवाल
23. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. " नव प्रभात
25. " नारायण पाल
26. " नारायण राम आर्य
27. " नारायण सिंह जंतवाल
28. "काजी" निजामुद्दीन
29. श्री प्रकाश पंत
30. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31. डा० प्रताप बिष्ट
32. श्री प्रदीप टम्टा
33. श्री प्रीतम सिंह
34. " प्रीतम सिंह पंवार
35. " प्रेमानन्द महाजन
36. " पुष्पेश त्रिपाठी
37. " फूल सिंह बिष्ट
38. " बलबीर सिंह नेगी
39. " विजयपाल सिंह सजवाण
40. " विशन सिंह चुफाल
41. " भगत सिंह कोश्यारी
42. " मंत्री प्रसाद नैथानी
43. " महेन्द्र भट्ट
44. " मातबर सिंह
45. " माल चन्द्र
46. चौ० यशवीर सिंह
47. श्री रणजीत सिंह
48. " रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49. " राम प्रसाद टम्टा
50. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51. श्री शूरवीर सिंह
52. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53. श्री सहजाद
54. " साधू राम
55. " सुबोध उनियाल
56. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
58. " सुरेश चंद
59. डा० हरक सिंह रावत
60. श्री हरबंस कपूर
61. " हरीदास
62. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63. " हीरा सिंह बिष्ट
64. " हेमेश खर्कवाल
65. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषय को उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आज हमारी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना है, जो उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के सम्मान से सम्बन्धित है। कृपया हमें सुना जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज हमारी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना है, कृपया हमें सुना जाय। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–311 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य सर्वश्री काशी सिंह ऐरी, नारायण सिंह जंतवाल, प्रीतम सिंह पंवार, पुष्पेश त्रिपाठी की प्राप्त हुई है, जो उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के आन्दोलन में भागीदारी करने वाले आन्दोलनकारियों को सम्मानित/सेवायोजित करने के लिए आधार निर्धारित करने के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम–311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसे किसी अन्य नियम में उठायें।

नियम–311 के अन्तर्गत दूसरी सूचना सर्वश्री भगत सिंह कोश्यारी, मातबर सिंह कण्डारी, प्रकाश पंत, अजय भट्ट तथा अन्य माननीय सदस्यों की प्राप्त हुई है, जो राज्य में वर्ष 2006–2007 के लिये दिये जाने वाले शराब के ठेकों तथा लाइसेंस फीस हेतु निर्धारित शुल्क के ड्राफ्ट के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम–311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं इसे नियम–56 में सुन लूंगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे परिपाटी न बनायें।

आज नियम–311 के अन्तर्गत तीसरी सूचना सर्वश्री प्रेमानन्द महाजन, हरीदास, नारायण पाल तथा श्री तसलीम अहमद की है। जो जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र के एस्कार्ट फार्म में वर्षों से निवास कर रहे पीड़ित परिवारों को आवासीय भूमि हेतु पट्टा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम–311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

आज नियम–311 के अन्तर्गत चौथी सूचना सर्वश्री सहजाद, तसलीम अहमद, हरीदास, नारायण पाल तथा काजी निजामुद्दीन की है। जो सूखे से अधिकतर फसलें नष्ट होने के सम्बन्ध में है। मैं माननीय सदस्यों की इस सूचना को नियम–311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मैं इसे नियम–56 में सुन लूँगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि माननीय सदस्य इसे परिपाटी न बनायें।

(घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जिन आन्दोलनकारियों के बल पर यह राज्य बना है, आज उन्हीं की उपेक्षा की जा रही है। (घोर व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, आज हमारी भी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना है, जो सूखे से अधिकतर फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में है। कृपया हमें सुना जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(तत्पश्चात् उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

"राज्य आन्दोलनकारियों पर अत्याचार बन्द करो, बन्द करो"। "राज्य आन्दोलनकारियों को न्याय दो, न्याय दो"।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, राज्य सरकार की आबकारी नीति लीक हो गयी है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का परित्याग कर रहा हूँ।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, मैं आपकी सूचना को नियम–56 के अन्तर्गत कल सुन लूंगा। कृपया आप अपने दल के साथ आसन ग्रहण करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमारी सूचना को नियम–311 के अन्तर्गत ही सुना जाय। (व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारी सूचना को सुना जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी निजामुद्दीन जी, आप बैठ जाइये। मैं आपकी सूचना को भी नियम–56 के अन्तर्गत आज सुन लूंगा। कृपया आप अपने दल के साथ आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य ''वेल'' में खड़े होकर पूर्ववत नारे लगाते रहे।)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, 6 वर्ष बीत गये हैं और कोई भी सरकार गम्भीर नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, राज्य आन्दोलनकारियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनके बल पर राज्य बना है उनकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य ''वेल'' में बैठ गये और नारे लगाने लगे– 'आन्दोलनकारियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं', 'राज्य आन्दोलनकारियों की उपेक्षा बर्दाश्त नही', 'आन्दोलनकारियों का सम्मान करो'।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने कहा कि मैं आपकी बात को नियम–56 में आज ही सुन लूंगा, आप कृपया बैठ जायें। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इस पर बहस करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम–56 पर सुनने को तैयार हूँ। कृपया आसन ग्रहण करें।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12.00 पर पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी एक सूचना–311 की थी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले भी कहा कि आप नियम–56 में ले आइये हम सुन लेंगे। इसे कल नियम–56 में दीजिए, हम सुन लेंगे।

श्री हरीदास–

मान्यवर, हमारी भी सूचना को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कल दे दीजिए, सुन लेंगे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के प्राविधानों का पालन

*1. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नये पंचायती राज अधिनियम में पूर्व की भाँति छोटे–छोटे विवादों को सुलझाने व विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायतों की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 का उपान्तरण एवं अनुकूलन उत्तरांचल में कर लिया गया है। जिसमें न्याय पंचायत की व्यवस्था का प्राविधान है।

प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम के निर्माण की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का उपान्तरण एवं अनुकूलन उत्तरांचल में कर लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन–कौन से प्राविधान कर लिये गये हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि कौन–कौन से प्राविधान कर लिये गये हैं। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि 1974 से उत्तर प्रदेश से न्याय पंचायत की व्यवस्था भंग है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जिस तरह ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि चुनकर जाते थे। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा था उसका उत्तर दे दिया है कि 1974 से न्याय पंचायत की व्यवस्था भंग चल रही है। हम उत्तरांचल में प्रदेश पंचायत अधिनियम बनाने जा रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कब तक बन जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कार्य चल रहा है, समय नहीं बता सकते।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, राज्य बने पाँच साल से अधिक हो गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूँ। हम शीघ्र ही अपना अधिनियम बना लेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या न्याय पंचायतें सक्रिय हैं? यदि नहीं तो क्यों, यदि नहीं तो कब तक आप सक्रिय कर लेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं पहले भी बता चुका हूँ 1974 से यह व्यवस्था निष्क्रिय है, उत्तरांचल में भी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, नीतिगत प्रश्न यह है कि संविधान के 73–74वें संशोधन में क्या है इससे मंत्री जी अवगत हैं। हमारी पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय, उसे शक्तिशाली बनाया जाय ताकि हमारे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके। छोटे–मोटे निपटारे न्याय पंचायत में किये जाते हैं। पंचायत को कुछ आर्थिक अधिकार दे दिये हैं। मान्यवर, बहुत सारे विभागों को इसके अन्तर्गत रखा गया है। इसमें प्रशासनिक अधिकार न्याय पंचायतों को दे दिया जाय तो यह पंचायत राज की भावना के अनुरूप होगा। मान्यवर, इस दृष्टिकोण को रखते हुए न्याय पंचायतें सुदृढ़ करने पर विचार करेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि 1974 से यह व्यवस्था निष्क्रिय पड़ी हुई है। हम न्याय पंचायत अधिनियम बनाने जा रहे हैं। यह उत्तरांचल के भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बना रहे हैं। मान्यवर, इस दिशा में हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए क्योंकि हम इसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। हमने इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उस कमेटी की क्या कोई बैठक आयोजित हुई है, इसकी कितनी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। शीघ्र ही इसकी बैठक होगी।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, ग्राम प्रहरियों को जो मानदेय दिया जाता था वह उनको नहीं मिल पा रहा है। यह उन्हें कब तक दे दिया जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, ग्राम प्रहरियों की नियुक्ति पंचायत विभाग के माध्यम से नहीं की गयी है। राजस्व विभाग के द्वारा इनकी नियुक्ति की गयी है। आपने कहा है कि इनको मानदेय नहीं मिल रहा है। मैं इसे दिखवा लूँगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक एवं नियमित आपूर्ति

*2. श्री मदन कौशिक–

क्या खाद्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में रसोई गैस का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है?

यदि हाँ, तो रसोई गैस की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गैस की कालाबाजारी रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

एच0पी0सी0एल0 रिफाइनरी जामनगर बन्द होने तथा ओ0एन0जी0सी0 के बाम्बे हाई प्लान्ट में दुर्घटना के कारण सितम्बर, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति बाधित हुई थी। वर्तमान में रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सामान्य है।

रसोई गैस की आपूर्ति नियमित करने के लिए घरेलू गैस के व्यवसायिक प्रयोग रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया था।

गैस की कालाबाजारी को रोकने हेतु जनपदों में मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में निरीक्षकों की छापामार टीम किये जाने एवं दोषी संस्थाओं/होटलों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण

*3. श्री हरबंस कपूर–

क्या खेलकूद मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून में खेलकूद एवं युवा कल्याण के संवर्द्धन एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम बनाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कहाँ और कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ। देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वृहद परियोजना होने के कारण निर्माण की समय सीमा अभी इंगित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के क्या मानक होंगे? परेड ग्राउण्ड में जो स्टेडियम बनाया जा रहा है क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप होगा?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रकरण आपके समय का है। 2001 में यह निर्णय हुआ था कि परेड ग्राउण्ड में स्टेडियम बनाया जाये। मान्यवर, यह निश्चित रूप से मानकों के अनुरूप है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, हमारा जो प्रस्ताव था वह यह भी था कि मिनी स्टेडियम, जहां वर्तमान में खेलकूद की गतिविधियां चल रही हैं, यहां पर मिनी स्टेडियम बनाया जाये। मान्यवर, परेड ग्राउण्ड देहरादून में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए एकमात्र स्थान है। क्या इन गतिविधियों के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया गया है? यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यातायात की व्यवस्था को देखते हुए, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार कर लें। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को कहीं और बनाया जाये और दूसरे कार्यों के लिए परेड ग्राउण्ड प्रयोग किया जाये। इससे यातायात में भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मैं यह भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत बड़ी परियोजना है, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि उस स्थान पर शिलान्यास कब हुआ था और उसके बाद से अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, निश्चित रूप से पूर्व में 2001 में परेड ग्राउण्ड में स्टेडियम बनाने की बात हुई थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने यह फैसला लिया कि हम परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण करेंगे। मंत्रिपरिषद् की बैठक में यह मामला गया था और निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जायेगा और उन तमाम बिन्दुओं पर पूरे अध्ययन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम यहां पर बनाया जायेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के क्या मानक हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसके लिए बहुत सारे मानक होते हैं। मैं उसकी सूची बाद में उपलब्ध करा दूँगा।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, या तो मंत्री जी मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं या फिर सदन को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि जो स्टेडियम बनेगा उसके क्या मानक होते हैं, जैसे कि उसकी लम्बाई, चौड़ाई क्या होती है और उसके लिए यातायात की क्या व्यवस्था होगी? देहरादून शहर में जो कथा या सत्संग और व्यवसायिक गतिविधियां, जो आज परेड मैदान में होती हैं, क्या स्टेडियम बनने के बाद शहर की इन व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, कृपया प्रश्न पर आयें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इन सब के लिए फिर क्या व्यवस्था की जायेगी? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय कपूर जी ने प्रश्न किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास कब किया था, तो मान्यवर, 26 फरवरी, 2004 को इसका शिलान्यास किया गया था और जो प्रश्न पूछा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के क्या मानक होते हैं, मैं इसे समझ नहीं पाया। मान्यवर, जैसे कलकत्ता में ईडेन गार्डन स्टेडियम है तो वहां पर काफी अधिक स्पेस है और मोहाली में स्पेस कम है। इस अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराना हमारी जिम्मेदारी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्री जी ने मानकों के बारे में तो नहीं बताया लेकिन उसके चारों ओर जो यातायात की व्यवस्था है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जायेगी? इसके

अतिरिक्त शहर में जो भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां वहां पर संचालित होती हैं, वह स्टेडियम के निर्माण के बाद क्या वहीं पर संचालित होंगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यातायात को भी देखते हुये इसका निर्माण किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या राजनीतिक धार्मिक गतिवधियां भी वहीं पर होंगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसके लिए हमारे पास रेंजर्स ग्राउण्ड और पैवेलियन मैदान भी है। हमारा मकसद तमाम चीजों को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराना है। स्टेडियम बनने के बाद भी हर दिन तो वहां पर खेल आदि का आयोजन नहीं होगा। कभी हमें वन–डे कराने का मौका मिला तो व्यवस्थायें की जायेंगी, हर दिन तो वहां पर भीड़ या यातायात तो होगा नहीं। जिसे संचालित करने में दिक्कत होगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण के मानक से सम्बन्धित तो मेरा प्रश्न नहीं है। माननीय खेल मंत्री जी भी अवगत होंगे कि महेन्द्र सिंह धोनी का आज अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। मान्यवर, महेन्द्र सिंह धोनी माननीय श्री कुंजवाल जी के क्षेत्र के हैं। आज वे भले ही झारखण्ड के निवासी हों, लेकिन मूल रूप से श्री धोनी के माता–पिता हमारे राज्य के हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस उदीयमान खिलाड़ी को, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं, किसी भी रूप में सम्मानित करने पर विचार कर रही है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वैसे तो यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन महेन्द्र सिंह धोनी उत्तरांचल के गौरव हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है। मैंने निवेदन किया था कि परेड ग्राउण्ड को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाय। वहाँ पर अभी बहुउद्देशीय गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहाँ

पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने रेंजर्स ग्राउण्ड की बात कही, मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि रेंजर्स ग्राण्उड सरकार का नहीं है, वह एक संस्था का है। वहाँ पर कोई गतिविधि कराने के लिए उसे 1100 रुपये में या 2000 रुपये में बुक कराना पड़ता है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने पेवेलियन ग्राउण्ड की बात कही, मान्यवर, उसके आस-पास की स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पर आवागमन की सुविधा नहीं है। परेड ग्राउण्ड में बहुउद्देशीय गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या परेड ग्राउण्ड को मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आज हमको यह भी देखना है कि प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है या नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाना है या नहीं। हम रेंजर्स ग्राउण्ड का इस्तेमाल बहुउद्देशीय गतिविधियों के लिए कई बार कर चुके हैं। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, हम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण किसी और स्थान पर कराया जा सकता है। एम0डी0डी0ए0 द्वारा बाई पास में भूमि अधिगृहीत की जा रही है, शिमला रोड भी शहर के निकट है, वहां पर भी इसका निर्माण कराया जा सकता है। यह स्टेडियम ऐसी जगह पर बनना चाहिए जो सबके लिए एप्रोचेबिल हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा भीमताल के रामलीला मैदान में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा का क्रियान्वयन

1. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 22-9-2005 को पोखराड़, जनपद नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा भीमताल स्थित रामलीला मैदान में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गयी थी?

यदि हाँ, तो मिनी स्टेडियम के निर्माण को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

नोट – तारांकित प्रश्न सं0-3 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी कोई घोषणा विभाग को प्राप्त न होने के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद रुद्रप्रयाग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 श्रेणी की सुविधा

2. श्रीमती आशा देवी–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कुल संख्या क्या है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त जनपद में कितने ऐसे परिवार हैं कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, लेकिन उन्हें उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है?

क्या सरकार ऐसे परिवारों का पुनः सर्वे करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद रुद्रप्रयाग में वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कुल संख्या/प्रचलित राशन कार्ड संख्या–11706 है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों को बी0पी0एल0 की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

बी0पी0एल0 सर्वे वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा कराया जा चुका है। इस सर्वे के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वि0ख0 भीमताल में रेशम उत्पादन हेतु योजनाबद्ध कार्य

3. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल क्षेत्र में रेशम उत्पादन की अच्छी सम्भावनायें हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का रेशम उत्पादन करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)–

जी हाँ।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल में रेशम विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रेशम विभाग द्वारा अनेक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें प्रमुख निम्नवत् हैः–

विकासखण्ड भीमताल में विभाग द्वारा राजकीय रेशम फार्म की स्थापना हल्द्वानी–नैनीताल रोड पर ज्योलीकोट में की गई है, जिससे स्यालीखेत, खेड़ा बस्ती, बसगांव, बसकुडी, डागड़, रोपड़ा आदि गांवों के 22 परिवार रेशम कीटपालन से जुड़े हैं।

उक्त फार्म के अतिरिक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा ग्रामीणों को चयनित कर उनकी भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया है, जिससे कि वे कीटपालन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

1. व्यक्तिगत क्षेत्र में रेशम विकास से लाभान्वित ग्राम संख्या–09
2. व्यक्तिगत क्षेत्र में लाभान्वित कीटपालन संख्या–42
3. व्यक्तिगत क्षेत्र में 1.20 लाख शहतूत वृक्षारोपण।
4. स्वयं सहायता समूहों की संख्या–15
5. भीमताल क्षेत्र में रेशम कार्यों की उच्च गुणवत्ता के लिये एक रेशम सामुदायिक चॉकी केन्द्र की स्थापना की गयी।
6. केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना के अन्तर्गत 40 रेशम कीटपालकों के यहाँ कीटपालन भवन निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गयी।
7. 40 कीटपालकों को कीटपालन उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

विकास खण्ड भीमताल के रानीबाग क्षेत्र में मूंगा रेशम का प्रायोगिक कीटपालन प्रारम्भ किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड, द्वारा भीमताल में टसर रेशम अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा टसर रेशम विकास के लिये अनुसंधान विकास का कार्य किया जाता है। इस केन्द्र पर बांज आधारित टसर कीटों की प्रजातियों का विकास, विभिन्न क्षेत्रों में इनका परीक्षण, कीटपालन एवं बीजागार की विधियों का विकास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न

4. श्री प्रकाश पंत–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को वर्तमान में कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है?

क्या सरकार उक्त आवंटन की वृद्धि प्रस्तावित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को वर्तमान में 35 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं है।

जनपद देहरादून में घरेलू एवं व्यवसायिक गैस कनेक्शनों हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनका निस्तारण

5. श्री हरबंस कपूर–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में एल0पी0जी0 गैस के नये संयोजन हेतु दिनांक 01–04–2005 से अब तक कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए?

क्या प्राप्त आवेदन–पत्रों के विरुद्ध गैस एजेन्सियों द्वारा नये संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं?

यदि हाँ, तो कितने?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शीघ्र आवेदनकर्ताओं को नये संयोजन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद देहरादून में अप्रैल, 2005 से अब तक एल0पी0जी0 गैस के नये संयोजन हेतु 9,269 घरेलू गैस कनेक्शन एवं 666 व्यवसायिक गैस कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत हुये।

जी हाँ।

आवेदन–पत्रों के विरुद्ध 8,979 घरेलू एवं 666 व्यवसायिक गैस कनेक्शन, उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

अवशेष 290 आवेदकों को घेरलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित एजेंसी को निर्देशित किया गया है।

राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस हेतु सब्सिडी

6. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ईंधन स्रोत घट रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रसोई गैस हेतु अलग से सब्सिडी देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी नहीं।

घरेलू उपयोग की गैस पर सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में फलोत्पादन बीमा प्रारम्भ करने की योजना

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री जी अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के फलोत्पादकों (सेब) का ओलावृष्टि अथवा बर्फबारी के कारण सेब आदि फलों को प्रतिवर्ष भारी नुकसान पहुँचता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार फलोत्पादकों की फसलों का फलोत्पादन बीमा प्रारम्भ करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

उत्तरांचल राज्य में सेब फसल बीमा योजना लागू करने हेतु प्रस्ताव एग्रीकल्वर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेजा गया है।

एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि0 द्वारा उक्त बीमा प्रस्ताव पर सहमति के उपरान्त ही योजना के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा में मिट्टी तेल की आपूर्ति बढ़ाये जाने की मांग

8. श्री गोपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत खटीमा में मिट्टी तेल की आपूर्ति कम की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जनजाति क्षेत्रों में मिट्टी तेल की आपूर्ति बढ़ाये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को 03 ली0 प्रतिमाह प्रतिकार्ड तथा बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशनकार्ड धारकों को मैदानी जनपदों में 03 से 05 ली0 प्रतिकार्ड की दर से दिया जाता है। खटीमा क्षेत्र में भी इसी मानक के अनुसार मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा रही है।

क्षेत्र विशेष के आधार पर पृथक मानदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी वि0ख0 भटवाड़ी के राजकीय उद्यान का सौन्दर्यीकरण

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री जी अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी के राजकीय उद्यान को निजी क्षेत्र में दिए जाने के फलस्वरूप शासन के मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्‌वारा स्कीइंग रिजार्ट को ध्यान में रखकर उक्त उद्यान में हर्बल विकास व व्यवसायिक पुष्पों की खेती करवाकर आर्थिक उन्नयन के साथ–साथ पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

राजकीय उद्यान रैथल, विकास खण्ड–भटवाड़ी, जनपद–उत्तरकाशी का कार्य लीज धारक द्वारा कार्य योजना के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर उद्यान का निरीक्षण कर लीज धारक को कार्य योजना के अनुसार कार्य सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर स्थित खटीमा में मिनी स्टेडियम के निर्माण पर विचार

10. श्री गोपाल सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनजाति क्षेत्र खटीमा में खेल स्टेडियम बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

खटीमा में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 2.5 एकड़ निःशुल्क भूमि युवा कल्याण विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है, इसके उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन ही इस योजना पर विचार सम्भव है।

प्रदेश में क्रिकेट एसोसियेशन का गठन

11. श्री हरबंस कपूर–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में क्रिकेट के विकास हेतु उत्तरांचल क्रिकेट एसोसियेशन का गठन हो गया है?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्या खेल विभाग प्रदेश में एक क्रिकेट एसोसियेशन गठित करने का प्रयास करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खेल विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा खेल संघों का गठन नहीं किया जाता है। राज्य क्रिकेट संघ का गठन भी राज्य के क्रिकेट क्लबों/खेल प्रेमियों द्वारा भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के अनुमोदन से किया जायेगा। राज्य सरकार की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 सल्ट की कुन्हील एवं कुर्णधार न्याय पंचायत की ग्राम सभाओं को वि0ख0 भिक्यासैंण में मिलाने की मांग

12. श्री अजय भट्ट–

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खण्ड की कुन्हील न्याय पंचायत की 11 (ग्यारह) एवं कुर्णधार न्याय पंचायत की 3 ग्राम सभाओं को जनहित में सल्ट विकास खण्ड से हटाकर भिक्यासैंण विकास खण्ड में शामिल किये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता लम्बे समय से करती आ रही है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

भारत के परिसीमन आयोग के पत्रांक 281/डी0एल0/2002 दिनांक 19–8–2002 के पैरा 4 के निर्देशानुसार तथा पत्रांक 281/यू0टी0टी0/2004(ए0डी0यू0)859 दिनांक 25–8–2004 के अनुसार दिनांक 01–8–2002 से परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण होने तक राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई में परिवर्तन या नई प्रशासनिक इकाईयों के सृजन को प्रतिबन्धित किये जाने के कारण किसी भी पंचायत की इकाईयों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कतिपय विधायकों द्वारा 'लाभ के पद' धारण करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 क में लिखा है कि यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान–मण्डल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसे डिस्क्वालिफाई किया जायेगा, ऐसा संविधान का अनुच्छेद 191 कहता है। इसके साथ ही श्रीमन्, मैं सम्मानित सदन के माध्यम से आपकी व्यवस्था भी चाहता हूँ क्योंकि जैसी कि जानकारी है कि राज्य की सरकार ने इस सदन के सम्मानित 13 विधायकों को विभिन्न समितियों, आयोगों और निगमों में, ऐसे सभी संस्थानों में जहाँ पर सरकार सीधे नियुक्ति कर सकती है, नियुक्त किया है। मान्यवर, अनुच्छेद 191 के अनुसार यदि कोई सीधे लाभ का पद प्राप्त करता है तो वह डिस्क्वालिफाई कहलाया जायेगा। इसके साथ ही मैं उद्धरण करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की 1968 की रूलिंग को, जिसमें पंजाब एण्ड हरियाणा का एस0 उमराव सिंह बनाम दरबारा सिंह, ए0आई0आर0 में किसी व्यक्ति को निरर्ह ठहराये जाने से पूर्व तीन बातें साबित होनी चाहिए। पहली यह कि वह कोई पद धारण करता है, दूसरी बात यह है कि वह लाभ का पद है, तीसरी बात यह कि वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन है। यह 13 सम्मानित सदस्य सीधे राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं। इसका अर्थ यह है कि यह 13 सम्मानित सदस्य अनुच्छेद 191 के अन्तर्गत डिस्क्वालिफाई कहलाये जायेंगे।

इसके साथ ही मैं दूसरी रूलिंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय की, जिसमें ठाकुर डूंगर सिंह बनाम राम किशोर राठौर, 4 ई0एल0आर0–34 में यह आवश्यक नहीं है कि उस पद पर किसी प्रकार की आय हो। ना ही, यह आवश्यक है कि पद धारक को वास्तव में लाभ हो, केवल यही पर्याप्त है कि पद धारण करने वाले से, उस पद से लाभ प्राप्त करने की युक्ति संगत आशा की जाती है। इसके साथ ही दूसरी रूलिंग राजस्थान उच्च न्यायालय ने होती लाल बनाम राय बहादुर, 15 ई0एल0आर0 55 में निर्णय दिया गया है कि किसी पद के लाभ का पद होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उस पद से कोई निश्चित वेतन जुड़ा हो। अगर पद धारण करने वाला अपने पद से जुड़े कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कोई फीस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या पारिश्रमिक वसूल कर सकता है तो यह माना जायेगा कि वह लाभ का पद धारण करता है। साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बिहारी लाल दोबरे बनाम रोशन लाल दोबरे, 1984 में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 191 (1) (क) को अधिनियमिति करने का उद्देश्य एकदम साफ है। कोई भी व्यक्ति, जो विधान मण्डल के लिए निर्वाचित होता है, को अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी भय के और बिना किसी प्रकार के सरकार के दबाव के, स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे किसी पद पर कार्यरत हो जो उसे पारिश्रमिक प्रदान करता है और उसका उस पर बने रहने में सरकार कुछ कर सकने की स्थिति में हो तो यह हर सम्भव है कि उसे सरकार की इच्छाओं को मानना पड़ेगा। सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए सरकार की सेवाओं में होना आवश्यक नहीं है और उनके बीच किसी प्रकार का मालिक और सेवक का सम्बन्ध होने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, लोक सभा में भी लाभ से सम्बन्धित संयुक्त समिति का गठन किया गया और अपना 10वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में लाभ के पदों से सम्बन्धित संयुक्त समिति निम्नलिखित मानदण्ड का पालन इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए करती आ रही है कि किसी व्यक्ति को संसद सदस्य चुने जाने के लिए तथा सदस्य होने के लिए किन पदों पर रहने से निरर्ह माना जाना चाहिए और किन पदों पर रहने से निरर्ह नहीं माना जाना चाहिए। मान्यवर, जिसमें एक है– क्या पद धारक संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 1959 की धारा–2(क) में यथा परिभाषित 'प्रतिकरात्मक भत्ता' से भिन्न कोई अन्य पारिश्रमिक जैसे बैठक फीस, मानदेय, वेतन आदि ले रहा है? मान्यवर, दूसरा बिन्दु है– क्या वह निकाय, जिसमें पद धारण किया हुआ है, कार्यकारी, विधायी अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है अथवा निधियों के वितरण, भूमि के आवंटन, लाइसेंस आदि जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं? मान्यवर, तीसरा बिन्दु है– क्या वह निकास जिसमें पद धारण किया हुआ है, प्रश्रय के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्ति का प्रयोग करता है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं बनता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं नियम–300 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इसके लिए सदन सक्षम नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं ऐसी बात का उल्लेख कर रहा हूँ जो संविधान के अनुच्छेद 192 में माननीय सदस्यों की निरर्हताओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विनिश्चय के सम्बन्ध में है। मान्यवर, अनुच्छेद 192 में उल्लेख है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खण्ड–1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। मान्यवर, मैं इस प्रश्न को उपस्थित कर रहा हूँ, तथा आपके विनिश्चय की माँग कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि माननीय सदस्यों को संरक्षण प्रदान करें तथा इस महत्वपूर्ण प्रश्न को महामहिम श्री राज्यपाल के विनिश्चय हेतु प्रेषित करने का निर्देश देने का कष्ट करें। मान्यवर, जब तक इस पर महामहिम निर्णय नहीं ले लेते हैं, तब तक उनको मत विभाजन में भाग नहीं लेने का निर्णय दें। ...... व्यवधान

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल इसके लिए सक्षम हैं, इसलिए मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूँ। .... व्यवधान

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, यह संविधान की किताब है। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये। .... (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य पुनः सदन में आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री गगन सिंह, श्री प्रकाश पन्त, श्री अजय भट्ट, श्री विशन सिंह चुफाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती आशा देवी, श्री अनिल नौटियाल तथा श्री नारायण पाल जी की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी,

श्री गगन सिंह, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा देवी तथा श्री अनिल नौटियाल की सूचनाओं को नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

राज्य के चिकित्सकविहीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में बेरोजगार बी0ए0एम0एस0 डिग्री धारकों की नियुक्ति किए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, राज्य के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं तथा नव सृजित चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती नहीं की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अभी तक एक भी चिकित्सक को नहीं रखा गया। आज भी लगभग 450 एलोपैथिक एवं 200 आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिकित्सक विहीन हैं। जिस कारण राज्य की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आयोग द्वारा 7–8 बार एलोपैथिक चिकित्सकों तथा इतने ही बार संविदा पर नियुक्ति के बाद भी कोई भी एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवायें देने को तैयार नहीं है। जब कि लगभग 650 पद चिकित्सकों के रिक्त चल रहे हैं।

राज्य में लगभग 400 बी0ए0एम0एस0 चिकित्सक (महिलायें और पुरुष दोनों मिलाकर) बेरोजगार हैं जो कि उत्तरांचल के मूल निवासी हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति से भली–भाँति अवगत हैं तथा अपनी सेवायें देने को तैयार हैं।

अतः आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लगभग 200 रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरा जाय। नये खुले आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में संविदा के आधार पर बी0ए0एम0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (एम0ओ0सी0एच0) के 65 पद रिक्त हैं।

आयुष विभाग भारत सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुष विंग की स्थापना होनी है। जिस पर बी0ए0एम0एस0 चिकित्सक की नियुक्ति होनी है, जिसमें 225 पद रिक्त हैं। राज्य के मूल निवासी बी0ए0एम0एस0 चिकित्सकों की रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जानी आवश्यक है।

अतः इस व्यापक लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद नैनीताल न्याय पंचायत ओखलढूंगा के अत्यधिक पिछड़े गाँवों के लिए नेराधूरा या तिगौनिया से स्रोत पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूँ। जनपद नैनीताल में विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत न्याय पंचायत ओखलदूंगा के सुदूरवर्ती गाँव अत्यधिक पिछड़े हैं तथा पेयजल जैसी मूलभूत समस्या से त्रस्त हैं। उक्त सभी गाँवों की पेयजल समस्या के निदान हेतु नेराधूरा (बडौन) या तिगौनिया (हरीशताल) से स्रोत पेयजल योजना अति उपयोगी हो सकती है। पेयजल के अभाव में ग्रामवासी 2–3 किलोमीटर दूर से पीने का पानी सिर पर ढोकर आते हैं। वर्तमान में लगभग 20 वर्ष पुरानी पम्पिंग योजना से पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। टेल के गांवों में पेयजल कभी कभार आता है। अतः मैं शासन से माँग करता हूँ कि उपरोक्त स्रोत पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

जनपद अलमोड़ा के ग्राम पंचायत झलाहाट हेतु पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, विकास खण्ड चौखुटिया में ग्राम सभा झलाहाट सहित अन्य कई बड़ी ग्राम सभाऐं आज भी पेयजल योजनाओं से वंचित हैं। कई बार उक्त ग्राम सभाओं की महिलाओं द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने हेतु आन्दोलन किया गया है एवं विकास खण्ड की बैठकों में झलाहाट ग्राम समूह पेयजल पम्पिंग योजना के नाम से प्रस्ताव भी शासन को भेजे गये हैं। लेकिन अभी तक भी उक्त पेयजल योजना के निर्माण को स्वीकृति न मिलने से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला एवं मुन्स्यारी को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गगन सिंह–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला एवं मुन्स्यारी में निवास करने वाले लोगों को वहां रहने वाली जनजातियों की तरह से सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीन, तिब्बत, नेपाल की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। सीमान्त क्षेत्र माओवाद की समस्या से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में रहने वाली समस्त जातियों को अनुसूचित जनजाति की भाँति सारी सुविधायें एवं आरक्षण प्रदान किया जाय। यह कार्य अत्यधिक लोक महत्व का है, इसमें अमल होना अनिवार्य है।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर के गरूड़ चट्टी नामक स्थान में मोटर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

महोदय, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी–गढ़वाल के लिए जाने वाले मोटर मार्गों के लिए ऋषिकेश में बैराज पुल का उपयोग किया जाता है। इस पुल से मोटर मार्ग 17 कि0मी0 की दूरी पार करने के साथ ही घने जंगल से गुजरता है, जिसके कारण शाम 7 बजे के बाद इस मार्ग से गुजरना अत्यन्त दुर्लभ है। सन् 2004 में सी0आर0 टाफ से दो लेन का मोटर पुल स्थान गरूड़ चट्टी में वित्त सहित स्वीकृत है। लेकिन दो वर्ष से अधिक समय गुजरने के बाद भी अभी उक्त पुल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। पिछले सत्र में इस विषय पर सदन का ध्यानाकर्षित किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं किया गया। जबकि पिछले सत्र के दौरान सरकार द्वारा सदन में निर्माण कराने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। आज क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है, जनता आन्दोलन कर सड़क पर आकर धरना–प्रदर्शन करने के व कुछ भी करने की स्थिति में है।

जनपद रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड तक राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आकर्षित करना चाहूँगी जिसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। जगह–जगह गड्ढे पड़े हैं तथा वाहनों को चलने में अत्यन्त कठिनाइयां हो रही हैं। यात्राकाल प्रारम्भ होने को है लेकिन सम्बन्धित विभाग का ध्यान बिल्कुल भी उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर नहीं है। क्षेत्रीय जनता द्वारा बार–बार शासन–प्रशासन तथा सम्बन्धित विभाग से मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण की मांग की जा चुकी है लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा कभी भी जनान्दोलन का रूप ले सकती है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल कार्यवाही किये जाने की माँग करती हूँ।

जनपद चमोली के गैरसैंण वि0ख0 के अन्तर्गत ग्राम बड़ेथ को भू–स्खलन से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम बड़ेथ को भूस्खलन से भारी खतरा हो गया है क्योंकि गांव के बीचों–बीच बहने वाले गधेरे से भूमि कटाव हो रहा है तथा बरसात के समय मकानों में पानी भर जाता है। इससे ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है तथा गांव वाले दहशत में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन से शिकायत करने के बाद इस पर कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।

नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 में काजी निजामुद्दीन की सूचना प्राप्त हुई है। मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूँ। मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप नियम–56 में अपनी बात को रख सकते हैं।

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, संविधान का उल्लंघन हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह संविधानिक मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपको पूरा समय दिया जायेगा। कृपया बैठ जायें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो सरकार के नुमायन्दे हैं, वह आरोप लगा रहे हैं। उसे ग्राह्यता पर सुन लीजिए।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–2 पुकारे जाने पर)

*डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कुछ लोग शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कुछ लोग प्रदेश की व्यवस्था को चौपट करने पर लगे हुए हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, बात को सुना जाना चाहिए। (घोर व्यवधान)

*श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है।

(भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह एवं श्री प्रदीप टम्टा के अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने के कारण घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार, शराब माफियाओं के हाथों में खेल रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के सदस्य आरोप लगा रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपया इस पत्र को पढ़ लें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र अध्यक्ष पीठ की ओर दिखाया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 01.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 01.30 तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 01 बजकर 30 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई।)

शराब माफियाओं द्वारा मंत्रिमण्डल के निर्णय से पहले ही ड्राफ्ट बनने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी हाल ही में आबकारी घोटाले को लेकर बहुत हो–हल्ला रहा। उत्तरांचल राज्य में इस प्रकार की घटना पहली बार देखने को मिली कि कैबिनेट का डिसीजन होने से पहले ही ड्राफ्ट बनने लगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सदन में कितने माननीय मंत्री बैठे हैं? यह विचारणीय प्रश्न है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है लेकिन यदि एक भी मंत्री सदन में बैठा हो तो इसका मतलब है, पूरा मंत्रि–परिषद बैठा हुआ है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी, आप अपनी बात कहें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने आज नियम-300 के अन्तर्गत यह मामला उठाया है। आज एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है। जब सरकार के मंत्रि–परिषद् के सदस्य शपथ लेते हैं, तो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यहां पर कैबिनेट के डिसीजन से पहले ही सूचना लीक हो गयी। मान्यवर, माननीय विधायक, सल्ट, श्री रणजीत सिंह रावत जी ने सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा। माननीय रणजीत सिंह जी भी हमारी तरह असरकारी सदस्य हैं, उन्हें इसका पूरा अधिकार है कि वे अपनी बात को सरकार से कहें। लेकिन गम्भीर बात यह है कि उसमें 3 माननीय मंत्रीगण भी हस्ताक्षर करते हैं।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री पार्टी के सदस्य नहीं हैं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर– घोर व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी, कृपया बैठ जाएं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री इसलिए होते हैं कि वह सरकार का पक्ष रख सकें। लेकिन यहां पर कोई भी विधायक उत्तर देने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो चाहते हैं बोलने लगते हैं। संसदीय कार्य मंत्री और कंसर्निंग मंत्री सरकार का पक्ष रखने के लिए होते हैं। यहां पर हर बार व्यवधान होता है। इस पर आपका निर्णय आना चाहिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। शराब तस्करों के इशारे पर सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, कृपया बैठ जाएं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर– घोर व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

काजी निजामुद्दीन जी को अपनी बात कहने दें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कोई सदस्य हमको तरीका नहीं सिखा सकता है। मैं तीसरी बार विधायक बन कर सदन में आया हूँ। मुझे कोई तरीका सिखाए, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह भी सदन नहीं चलाया जाता है। शराब तस्करों के इशारे पर सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बात यहां पर आनी चाहिए कि यह कौन कर रहा है।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये और नारे लगाने लगे– "गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी।" "शराब माफियाओं के इशारे पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।")

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले गये और अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।

श्री अजय भट्ट–

[X X X]

*श्री रणजीत सिंह–

[X X X]

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

नोट–[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मानमीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही के इस अंश को कार्यवाही से निकालने का विनिश्चय दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, शराब माफियाओं का पर्दाफाश होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यदि हमारी सूचना को–311 में स्वीकार कर लिया होता तो आज ऐसी स्थिति इस समय न होती।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, नियम–300 के अन्तर्गत अच्छी खासी डिबेट होती है। यह कोई क्राइम का या सी0आर0पी0सी0 से सम्बन्धित मैटर नहीं था। यह तो संवैधानिक मैटर था। मान्यवर, मैं अपनी बात पुनः प्रारम्भ करता हूँ। मान्यवर, पत्र लिखा गया। उस पत्र में तीन माननीय मंत्रीगणों ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे पढ़ कर सुना दूँ।

श्री अध्यक्ष–

यह पत्र मुझे दे दीजिए।

(माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जोर–जोर से उक्त पत्र पढ़ने लगे।)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, शराब माफियाओं ने प्रदेश के बाहर के बैंकों से तीन मार्च .... (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, यह फोटो कापी है। मूल प्रति मंगवा दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन के पास यह पत्र कहाँ से आया, यह जाँच का विषय है।

(कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश की जनता के अन्दर और मंत्रिमण्डल के अन्दर गलत संदेश जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के अन्दर सरकार और शराब माफियाओं के बीच अघोषित गठजोड़ है।

(शेम–शेम की ध्वनि)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये, आप अपनी बात कह चुके हैं। .... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस पत्र का उल्लेख किया है, वह मेरे पास है। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रियों को यह अधिकार है कि वे अपने सुझाव और राय को मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

[(भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे .... (व्यवधान)]

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप लगातार दबाव बना रहे हैं, दबाव में आपकी धमकी को सत्तापक्ष स्वीकार नहीं करेगा। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सब बैठ जाइये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते, माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल रही हूँ। पहले मुझे बोलने दें इसके बाद आपको जो कहना हो कह सकते हैं। .... (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सरकार गम्भीर नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ....(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पहले आप हमारी बात को तो सुनें, आप शासन की बात नहीं सुन रहे हैं। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारी बात सुनें। मान्यवर, यह पत्र हमारे पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अध्यक्ष जी को इसका संज्ञान दें। मान्यवर, यह कोई नई परम्परा नहीं है, उन्होंने अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है तो कोई गलत नहीं किया। .... (घोर व्यवधान)

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी तो स्पीकर साहब ने हमको बोलने की इजाजत दे रखी है, जब आप को इजाजत दें तो आप बोलें, अभी हमको बोलने दें, जबकि हमारे सभी माननीय विधायक शान्त बैठे हैं। मान्यवर, आपने मंत्री और विधायक के पत्र लिखने की बात कही तो मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय विधायक और माननीय मंत्री भी पत्र लिख सकते हैं। मान्यवर, बहुत से लोग लिखित दे सकते हैं या फिर बात भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से पत्र भी दे सकते हैं, मैं आपको भी पत्र दे दूँगी। मैंने एक प्रति मंगवाई और उसमें मैंने देखा कि उसमें नाम भी पड़े हैं, यह कोई गोपनीय नहीं है। इसका मतलब कि वे चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समाधान करें। मान्यवर, इसमें मुख्यमंत्री को लिखने की कोई बात नहीं है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि एक मंत्री मौजूद है तो पूरा कैबिनेट मौजूद है, मैं मानता हूँ कि माननीय मंत्री शिकायत कर सकते हैं, पर आम सदस्य की तरह शिकायत नहीं करते हैं।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं अन्तरात्मा की आवाज से कह रहा हूँ कि हम सरकार को रचनात्मक काम में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, अगर सरकार रचनात्मक काम करे। मगर सरकार में कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोपनीयता नहीं है। मान्यवर, आप कह रहे हैं कि पत्र लिख सकते हैं, पर यह पत्र लीक कहाँ से हो गया? अर्थात कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो गोपनीयता को लीक कर रहा है। मान्यवर, मेरा कहना है कि अपने मंत्रिमण्डल को ठीक करें, अगर आपस में आप लड़ते रहेंगे तो इस प्रदेश का भला कैसे होगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारी पार्टी में आन्तरिक लोकतंत्र है। मान्यवर, 28 तारीख को पता चलेगा कि कितनी एकजुटता है।

वर्ष 2004–2005 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त एवं विनियोग लेखे

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड–2 के अन्तर्गत वर्ष, 2004–2005 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 सदन के पटल पर रखती हूँ।

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 06 जून, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तेईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तीसवां अधिनियम बन गया।

मा० सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई के सम्बन्ध में मा० अध्यक्ष द्वारा दी गई सूचना

श्री अध्यक्ष–

उप जिला मजिस्ट्रेट ने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2006 तथा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने अपने फैक्स सन्देश संख्याः 1121/बीरू–82/2005–06 दिनांक 22 मार्च, 2006 के द्वारा सूचित किया है कि श्री प्रकाश पंत, सदस्य, विधान सभा एवं श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 18 मार्च, 2006 को 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसी दिन 18 मार्च, 2006 को 03.00 बजे अपराह्न रिहा कर दिया गया।

जनपद नैनीताल के भुजियाघाट में अत्यधिक क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, "जनपद नैनीताल के भुजियाघाट में अत्यधिक क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती निर्मला जीना एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल में खुर्पाताल के अन्तर्गत जोग्यूड़ा व उसके आस–पास गाँवों को भू–कटाव से सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, "जनपद नैनीताल में खुर्पाताल के अन्तर्गत जोग्यूड़ा व उसके आस–पास गाँवों को भू–कटाव से सुरक्षा के सम्बन्ध में" श्री राजेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नगरपालिका कोटद्वार के मानपुर शिवपुर, आमपड़ाव क्षेत्र के प्रमुख मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से " जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नगरपालिका कोटद्वार के मानपुर शिवपुर, आमपड़ाव क्षेत्र के प्रमुख मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में" श्री अरूण द्विवेदी एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

देहरादून विधान सभा के अन्तर्गत शान्ति विहार, मित्रलोक कॉलोनी, श्री देव सुमन नगर मलिन बस्ती आदि क्षेत्र में स्थित गन्दे नाले की नियमित एवं समुचित सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में याचिका

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "देहरादून विधान सभा के अन्तर्गत शान्ति विहार, मित्रलोक कॉलोनी, श्री देव सुमन नगर मलिन बस्ती आदि क्षेत्र में स्थित गन्दे नाले की नियमित एवं समुचित सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" श्री राम नाथ एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

रा0उ0मा0वि0 चौमूधार अल्मोड़ा के उच्चीकरण उदघाटन समारोह में श्री अजय भट्ट, स0वि0स0 को न बुलाये जाने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2005 द्वारा यह अभिसूचित किया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र

रानीखेत के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौमूधार, अल्मोड़ा के उच्चीकरण हेतु उदघाटन के अवसर पर माननीय सदस्य को सूचना न दिये जाने से उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। अतः उन्होंने उद्घाटनकर्ता माननीय उद्यान मंत्री, श्री गोबिन्द सिंह कुन्जवाल तथा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौमूधार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय उद्यान मंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। माननीय उद्यान मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 22 मार्च, 2005 द्वारा अवगत कराया कि प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौमूधार, अल्मोड़ा के निवेदन पर उनके द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 2004 को उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। दिनांक 7 सितम्बर, 2004 की रात्रि को माननीय सदस्य, श्री अजय भट्ट द्वारा कोलकाता से उनको सूचना दी कि वे पार्टी कार्य से कोलकाता में हैं, अतः उक्त कार्यक्रम में भाग नहीं ले पायेंगे। तद्नुसार उन्होंने प्रधानाचार्य से सम्पर्क किया कि कार्यक्रम को स्थगित किया जाए ताकि अगली तिथि को माननीय सदस्य भी सम्मिलित हो सकेंगे। लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा कहा गया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो तैयारी एवं प्रचार–प्रसार क्षेत्र में किया जा चुका है, इसके दृष्टिगत उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रधानाचार्य के विशेष आग्रह एवं तात्कालिक परिस्थिति को समझते हुए पूर्व घोषित कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया जा सका। इसके पीछे किसी भी प्रकार से उनकी मंशा माननीय सदस्य को ठेस पहुंचानी नहीं थी।

दूसरी ओर माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा अवगत कराया कि सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय के उच्चीकरण के उद्घाटन के समारोह का आयोजन क्षेत्रवासियों, जिनके बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत् थे, द्वारा किया गया। विद्यालय के उच्चीकरण के उद्घाटन समारोह की जानकारी उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दिनांक 7 सितम्बर, 2004 को दूरभाष पर तथा उसी दिन सायं जिला पंचायत सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गयी। समयाभाव के कारण प्रधानाचार्य स्तर से उद्घाटन की सूचना माननीय सदस्य को नहीं दी जा सकी। माननीय उद्यान, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग मंत्री तथा जिला पंचायत सदस्य को उद्घाटन हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा ही आमंत्रित किया गया। फिर भी माननीय सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के सम्बन्ध में भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 सितम्बर, 2005 द्वारा सचेत कर दिया गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपका विनिश्चय आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले ही सुन चुका हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय उद्यान मंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ। आपको मैंने कोलकाता से फोन किया था कि आप हमारे क्षेत्र में किसी विद्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में भी विधायक रहा हूँ और नियम जानता हूँ, यदि मैं उद्घाटन करने जाऊँगा तो आपको जरूर बुलाऊँगा। लेकिन आज विनिश्चय में मा0 उद्यान मंत्री के पत्र का हवाला दिया जा रहा है कि समयाभाव के कारण वे नहीं आ सकते थे। मान्यवर, माननीय कोश्यारी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी मा0 कुंजवाल जी से फोन पर भी कहा था कि किसी के क्षेत्र में जाने के लिए यह प्राविजन है, यह प्रावधान है कि वहाँ के विधायक को बुलाया जाता है और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में सदन में कई बार आश्वासन दिया है। दूसरी ओर यहां पर उद्यान मंत्री जी का स्पष्टीकरण आ रहा है कि यह कार्यक्रम क्षेत्रीय जनता द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था।

मान्यवर, हमें तो समझ में नहीं आता कि सरकारी कार्यक्रमों को क्षेत्रीय जनता कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती है। यह कैसे हो सकता है कि कार्यक्रम की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी न हो। मैं इस बात को यहां पर कह कर अपने सिर पर मुकुट नहीं पहनना चाहता, लेकिन जो परम्परायें हैं उनका निर्वहन नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, सरकार के इतने सीनियर मिनिस्टर और ट्रेजरी बैंच के सदस्यों द्वारा परम्पराओं को नहीं निभाया जा रहा है। मान्यवर, मैं इस बात को विनिश्चय आने से पहले कह रहा हूँ क्योंकि विनिश्चय आने के बाद मेरा बोलना धृष्टता होती। मान्यवर, विनिश्चय में संशोधन होना चाहिए एवं क्षेत्रीय विधायकों को ऐसे कार्यक्रमों में अवश्य बुलाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आपके भी संज्ञान में होगा, हमने पहले भी पीठ से निर्देश दिया है कि इस तरह के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायकों को बुलाया जाय। इसके स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, लेकिन ट्रेजरी बैंच से बार–बार इसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हमारे पास आपके पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

मान्यवर, सदस्य तो कभी सत्ता पक्ष में होते हैं कभी विपक्ष में, यह तो लगा रहता है, लेकिन संविधान द्वारा प्रदत्त मान्यता और अधिकार जो हमें हैं उनका बार–बार उल्लंघन किया जा रहा है। मान्यवर, इस तरह से प्रजातंत्र कैसे चलाया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कड़ाई से निर्देश होने चाहिए। माननीय मंत्री जी, कुंजवाल जी के लिखित उत्तर और दूरभाष पर हुई बात में कैसे विरोधाभास आ रहा है। क्योंकि दूरभाष पर उन्होंने उद्घाटन करने की जानकारी न होना कहा था, परन्तु आज एक दम अलग बयान दे रहे हैं।

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पहले भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और आपका निर्णय भी आ गया है। इसके बाद भी माननीय सदस्य, अजय भट्ट जी इस बात को बार–बार क्यों उठा रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि संविधान के तहत यह व्यवस्था है। ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, परम्परायें तो हैं, इस पीठ से निर्देश आया है और पीठ जो निर्देश देती है, वह संवैधानिक नियम बन जाता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह पीठ की अवमानना है, प्रजातांत्रिक नियमों का उल्लंघन है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, पीठ की अवमानना हमने नहीं की है, हम तो पीठ का सम्मान करते हैं और जो निर्देश जारी होते हैं, उनका पालन करते हैं। मान्यवर, समारोह में किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है यह समारोह के आयोजक तय करते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मंत्री जी का दृष्टिकोण हो सकता है। .... लेकिन क्षेत्रीय विधायक को बुलाने का राइट है। ....

श्री अध्यक्ष–

बुलाना चाहिए, राइट नहीं है। माननीय सदस्यों को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए और हर समारोह में बुलाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, इन निर्देशों का सरकार पालन करेगी या नहीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर निर्णय मैं बाद में दूँगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्यों के सम्मान और समारोहों में बुलाने की बात है, परम्पराओं की बात है, तो हमारे द्वारा सभी माननीय सदस्यों का पूरा सम्मान किया जाता है और करते रहेंगे।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दे दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सभी को निर्देश दे दिया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो भी माननीय मंत्री आते हैं, हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातों से ऊपर उठकर उनका स्वागत किया है। अभी हमें सूचना मिली थी कि माननीय टी0पी0एस0 रावत जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, चूँकि माननीय मंत्री सरकार हैं, इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से झण्डा लेकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करने गये। मान्यवर, जब इस तरह की परम्परा पड़ेगी, तभी लोकतंत्र जिन्दा भी रहेगा। इससे पूर्व जो भी मंत्रिगण आये उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से पहली सूचना श्री मातबर सिंह, श्री अजय भट्ट, श्रीमती आशा देवी तथा महेन्द्र भट्ट, दूसरी सूचना श्री मालचन्द्र, श्रीमती आशा देवी तथा श्री प्रकाश पंत, तीसरी सूचना श्रीमती विजय बड़थ्वाल, चौथी सूचना श्री अजय भट्ट, श्री चन्द्रशेखर, श्री अरविन्द पाण्डेय तथा श्री कैलाश शर्मा, पाँचवीं सूचना श्री महेन्द्र भट्ट, श्री अनिल नौटियाल तथा श्री गोविन्द लाल, छठी सूचना श्री बिशन सिंह चुफाल, सातवीं सूचना श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, आठवीं सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन तथा नवीं सूचना श्री नारायण पाल जी की है। मैं इनमें से पहली सूचना श्री मातबर सिंह, काजी निजामुद्दीन, श्री नारायण पाल, श्री हरीदास, श्री तसलीम अहमद मौ0 सहजाद की तथा दूसरी सूचना श्रीमती विजय बड़थ्वाल, तीसरी सूचना गोविन्द लाल, श्री महेन्द्र भट्ट तथा श्री अनिल नौटियाल की चौथी सूचना श्री बिशन सिंह चुफाल तथा पाँचवी सूचना श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री अजय भट्ट तथा श्री कैलाश शर्मा तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को मैं नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने प्रदेश के जनहित के मुद्दे पर मुझे नियम–56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। प्रदेश में वर्षा न होने के कारण कृषकों की फसल नष्ट हो गई और यदि मैं यह कहूँ कि समस्त 13 जनपदों में इसका प्रभाव पड़ा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कृषकों की गेहूँ, जौं की फसल वर्षा न होने के कारण चौपट हो गई है। जिस कारण से आज कृषक कर्जे की मार तो झेल ही रहा है साथ ही सूखे की मार भी झेल रहा है। मान्यवर, सरकार द्वारा 78 तहसीलों में से केवल 59 तहसीलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो यह शेष 19 तहसीलों को क्यों छोड़ा है? यह बात भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में पानी है, नहरें हैं। ऊधमसिंह नगर में ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पर नहरें नहीं हैं, नलकूप नहीं हैं। वहाँ कृषकों की फसल सूखे के कारण नष्ट हो गई। इसी प्रकार से हरिद्वार के कई ग्रामीण इलाक़े हैं जहाँ पर नहरें नहीं हैं वहाँ पर भी फसल नष्ट हो गई हैं। जहाँ पर नहरें हैं भी तो वहाँ पर उन नहरों में पानी नहीं है क्योंकि नदियों को पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ ट्यूबवेल भी नहीं है। अगर नलकूप हैं तो वहाँ का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस कारण नलकूपों से सिंचाई नहीं हो पा रही है। जिस कारण से वहाँ भी फसलें नष्ट हुई हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि सूखाग्रस्त गाँवों में राजस्व वसूली

नहीं करेंगे किन्तु सरकार द्वारा आज भी राजस्व वसूली की जा रही है। जिस कारण से हमारे किसान बहुत परेशान हैं। वे बेचारे बड़े-बडे अधिकारियों से कुछ कह नहीं पाते हैं। वे अपनी बात को ठीक ढंग से अधिकारियों से नहीं कह पाते हैं। यदि सरकार ने वसूली स्थगित कर दी है तो मैं चाहूँगा कि जो वसूली हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए।

प्रदेश में किसान आज भुखमरी की कगार में खड़ा है। सरकार के मात्र यह कह देने से कि हमने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है तो फिर मैं यह जानना चाहूँगा कि उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आप क्या सुविधा दे रहे हैं? मान्यवर, वहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। उनको साफ पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनके पशुओं को चारे की समस्या है। सरकार द्वारा यह बयान दिया गया है कि हम सूखाग्रस्त क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे, उन्हें अनुदान दिया जायेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वह सूखाग्रस्त क्षेत्र के कृषकों की समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता माँग रही है? क्या कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा भेजा गया है? क्या केन्द्र सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता देने के लिए कोई वादा किया है? मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और लोक महत्व का किसानों से जुड़ा प्रश्न है। यह तात्कालिक भी है। किसानों की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। मैं आपके संज्ञान में सदन के माध्यम से दो फोटो दिखा रहा हूँ। (सदन को फोटो दिखाते हुए) इस फोटो से स्पष्ट हो जाता है कि किसानों के खेत में कुछ भी नहीं बचा है। इन सूखे खेतों में कृषकों ने बीज डाला होगा, हल लगाया होगा। किन्तु उनकी मेहनत बेकार चली गई। पूरे के पूरे खेत उनके सूख गये। मान्यवर, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, कुछ दिनों पहले मैं दूरस्थ गाँव अल्मोड़ा गया था। वहाँ के कृषकों को मात्र 300 ग्राम चीनी मिल रही है। हमारे देहातों में अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, यह खाद्यान्न कहाँ जा रहा है? मान्यवर, जो खाद्यान्न गरीबों को दिया जा रहा है, वह उन तक नहीं पहुँच रहा है। मान्यवर, हैण्ड पम्प के लिए सरकार ने 53 लाख 70 हजार रुपये की राशि उत्तरांचल के सभी 13 जनपदों के लिए दी है, यदि इसका अनुपात निकाला जाय तो यह राशि एक जिले के लिए करीब 4 लाख रु0 आती है, जोकि बहुत कम है। मान्यवर, इसी तरह से पेयजल में सभी जिलों के लिए 27 लाख की व्यवस्था की गयी है, इसको भी प्रत्येक जिले में बांटने पर एक जिले के लिए करीब 4 लाख रु0 आती है, यह भी बहुत कम राशि है। मान्यवर, नहरों और गूलों को कैसे दुरूस्त करें इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। पशुचारे की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, आज हमारे

किसान बहुत पीड़ित हैं, उनको आस थी कि वर्षा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, उनकी फसल सूख गयी है। मान्यवर, बिजली से किसान आज महरूम हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार इन्हें बिजली उपलब्ध कराये, जिससे कि किसान अपना जीवनयापन सही ढंग से कर सकें।

काजी निजामुद्दीन—

मान्यवर, सूखा पूरे प्रदेश में पड़ा, परन्तु सरकार ने केवल 11 जिलों को चिन्हित कर, इन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने बाकी 2 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया? क्या वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई या सरकार ने कोई व्यवस्था उपलब्ध करायी? मान्यवर, हरिद्वार में गंगा केनाल होते हुए भी वहाँ सूखा है। मान्यवर, यहाँ पर नहरों की मानीटरिंग नहीं हो पा रही है। मान्यवर, मैंने यह बात कई बार उठाई है कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश से बात कर ली जाय, परन्तु अभी तक इसका समुचित समाधान नहीं निकला। मान्यवर, नहरें होते हुए भी किसान सिंचाई से वंचित है। मान्यवर, यदि एक दिन भी ट्यूबवेल नहीं चलते हैं तो कई हेक्टेयर जमीन असिंचित रह जाती है। मान्यवर, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले पहले से ही अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। यह सरकार केवल लुभावने वायदे करती है। मान्यवर, आज की तारीख में इन जिलों के गन्ना किसानों को पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, वह आधा-अधूरा ही हो रहा है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाए।

*श्री हरीदास—

मान्यवर, उत्तरांचल में 13 जिले हैं और सभी 13 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है, पर 13 में से 11 जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर हमारा जिला है और हमें पहले से ही महसूस हो रहा है कि यह सरकार हमें साथ में लेकर नहीं चल रही है। मान्यवर, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा फसल होती है और इसके बावजूद हमारी जो नहरें हैं उसमें 3–4 महीने से पानी नहीं आया और वहाँ के किसान पानी के लिए परेशान हैं, नलकूपों के पानी का स्तर नीचे चला गया है, बिजली की समस्या है, दुधारू पशुओं के चारे में दिक्कत है क्योंकि उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। मान्यवर, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने दोनों जिलों की उपेक्षा की है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाये। मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं चाहूँगा कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह सत्य है और तथ्य भी है कि इस वर्ष राज्य में मानसून अवधि में रबी की फसलों के दौरान वर्षा कहीं कम या कहीं बिल्कुल नहीं हुई, फलस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। इसका सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जहाँ 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति हुई है उसके फलस्वरूप प्रथम चरण में 22 तहसील को 7 मार्च, द्वितीय चरण में 34 और तृतीय चरण में 3 उप तहसीलों को 13 मार्च, 2006 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। मान्यवर, 11 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें नैनीताल का भावरी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है और आप कह रहे हैं कि सिर्फ दो जिले छूटे हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब सूखाग्रस्त घोषित हुआ तो कहा गया कि 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई, उसके अुनसार किया गया और बिजली की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, विद्युत आपूर्ति, खाद्यान्न, चिकित्सा और पशु आहार की सुविधा जिलाधिकारी स्तर पर दी गई। मान्यवर, केन्द्र से 292.70 करोड़ रुपये की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उनके केन्द्रीय दल के भ्रमण की तिथि निश्चित की जा रही है, जैसे ही हो जायेगा हमारी माँगे पूरी हो जायेंगी। सूखाग्रस्त में बिजली की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, विद्युत आपूर्ति, खाद्यान्न के लिए हमने धन स्वीकृत कर दिये हैं। मान्यवर, 5 जनपदों को 3–3 लाख, 4 जनपदों को डेढ़–डेढ़ लाख रुपये, कुल 27 लाख दिये, ठीक है यह ज्यादा नहीं है। मान्यवर, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, पेयजल के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य, पशु चारे के सम्बन्ध में सब को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

मान्यवर, कृषि को सब्सिडी के रूप में प्राथमिकता दी जायेगी। राजस्व के रूप में उनकी वसूली बन्द की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अगर वसूली की कार्यवाही की जा रही है तो वह न की जाय।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं वह एयरकन्डीशनों में बैठकर किये गये हैं, इनका सर्वेक्षण खेत में जाकर नहीं किया गया है कि खेत सूखाग्रस्त हैं या नहीं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वसूली की जा रही है उसे रूकवा दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब सूखा पड़ता है तो उससे सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसके लिए 50 प्रतिशत आधार रखा गया है। मान्यवर, सर्वेक्षण आगे भी जारी रहेगा। अभी बूँदा–बाँदी हुई थी उससे थोड़ा फर्क पड़ा है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो 50 प्रतिशत रखा गया है इसके क्या मानक हैं, यह कम–ज्यादा नहीं हो सकता है?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अभी केन्द्रीय सर्वेक्षण दल आना है और हम प्रस्ताव ही बना कर नहीं भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें दो जनपदों को रखा गया है और भी जनपद हैं। इनमें कई विकास खण्डों को छोड़ दिया गया है। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश का प्रोजेक्ट बनाकर भेजा जाय। जहाँ पर वसूली की प्रक्रिया चल रही है उसे रोक दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रस्ताव बना दिया गया है। ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार छूट गये थे उनको भी यह राहत प्रदान की जायेगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, 31 मार्च आने वाला है, अधिकारियों को वसूली के निर्देश हैं वह लोगों को पकड़–पकड़ कर बन्द कर रहे हैं। इसके लिए तुरन्त आदेश कर दें कि वसूली बन्द की जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वसूली स्थगित हो जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा सूखाग्रस्त था तो वहाँ पर खच्चरों से पानी का ढुलान किया गया था, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि पैसा भुगतान हो जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लिखित दे दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में जो भी सूखाग्रस्त कार्य किया जाय उसका भुगतान कृषकों को किया जाय ताकि उनको उसका लाभ मिल पाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह सूखा राहत का पैसा सीधे किसानों को दिया जाय और रोजगारपरक योजनाओं के रूप में योजनायें चलायी जायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिन छोटे किसानों ने ऋण लिया है उनकी वसूली भी रोकेंगे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राजस्व वसूली को रोका गया है। अब इसमें किस–किस वसूली को रोका गया है, इसको मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी, माननीय काजी निजामुद्दीन जी, माननीय हरीदास जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के ग्राम मल्ला गंगाभोगपुर में दिनांक 7–3–2006 को श्रीमती प्रसन्ना देवी व इसके ठीक पाँच दिन बाद दिनांक 12–3–2006 को श्रीमती जगदे देवी को टस्कर हाथी ने पटक–पटक कर मार दिया था। इससे पूर्व भी हाथी द्वारा कई लोगों को मारा जा चुका है। जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। अभी मुझे सूचना मिली है कि एक और महिला को भी हाथी द्वारा मार दिया गया है, किन्तु शासन, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हाथी का वहाँ पर बड़ा आतंक व्याप्त हो गया है, लेकिन वन प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं वहाँ पर नजदीक में ही लक्ष्मण झूला है, स्वर्गाश्रम है। मान्यवर, हाथी गाँवों में घुस जाता है। पूर्व में भी हाथी द्वारा कई लोगों को नुकसान पहुँचाया गया है और अब तक शासन, प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस अति लोकमहत्व के प्रश्न पर क्योंकि जनता में बड़ा रोष है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो लोग अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? अतः इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा की माँग करती हूँ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्या द्वारा दी गयी दोनों सूचनाएं सही हैं। पहली घटना 7–3–2006 को घटित हुई जिसमें श्रीमती प्रसन्ना देवी की मृत्यु हो गयी और दूसरी घटना 12–3–2006 को घटी जिसमें श्रीमती जगदे देवी की मृत्यु हुई। पर ये दोनों घटनाएं पार्क क्षेत्र के अन्दर हुई हैं और सामान्यतः जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके अनुसार पार्क क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है और इसीलिए अनुमति नहीं है कि पार्क क्षेत्र में जाने से वन्य जीवों से संघर्ष बढ़ेगा। माननीय सदस्या ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। हमने इसमें किसी प्रकार का प्रतिकर का भुगतान नहीं किया है और करेंगे भी नहीं। मेरा माननीय सदस्या से अनुरोध है क्योंकि वे भी क्षेत्र में जाती रहती हैं तो आप भी लोगों को समझाएं कि वे पार्क के अन्दर न जाएं क्योंकि इससे ऐसी घटनाओं की सम्भावना रहेगी। (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह हंसी का विषय नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जंगल के अन्दर यह घटना हुई है, लेकिन श्रीमती जगदे देवी की मृत्यु शक्ति नहर के पास हुई और यह पार्क के अन्दर नहीं है। यह एक सड़क है जिसमें आवागमन होता रहता है। वहाँ पर यह दुर्घटना हुई थी, मैं उस जगह पर गई थी। यह घटना मल्ला भोगपुर की जो सिंचाई नहर है, वहाँ पर हुई थी। यह दुर्घटनायें इस टस्कर हाथी द्वारा की जा रही है, वह कई बार गाँव के अन्दर आ जाता है और फसलों को नुकसान पहुँचा जाता है। मैंने स्वयं वहाँ पर इस बात को देखा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस हाथी को वहाँ से पकड़कर किसी घने जंगल में भेज दिया जाय। मान्यवर, मार्च के महीने में उस हाथी द्वारा तीन दुर्घटनायें की गई हैं। अभी उसके द्वारा जोगियाना गाँव में भी दुर्घटना की गई है। मेरा अनुरोध है कि उन तीनों लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि पहली घटना पार्क एरिया के 03 किलोमीटर में हुई है और दूसरी घटना 02 किलोमीटर में हुई है। इस दशा में नियमानुसार मुआवजे का प्रावधान तो हम नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक जंगली जानवरों के ग्रामीण क्षेत्रों में आने की और नुकसान करने की बात है, तो मैं इस बात को पूर्व में भी माननीय सदन के संज्ञान में ला चुका हूँ कि हमने सभी प्रकरणों में मुआवजे की राशि को दोगुना कर दिया है और अविलम्ब मुआवजा देने की व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, जहाँ तक जंगली जानवरों और मानव के बीच इस संघर्ष की बात है तो यह तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि जंगल रहेंगे। इन प्रकरणों में जितनी मदद हम नियमानुसार कर सकते हैं, करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल एवं माननीय वन मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर और नियम–56 के अन्तर्गत मेरी सूचना को स्वीकार किया।

महोदय, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा प्रदेश बनेगा यह हम सबकी कल्पना है। टिहरी और उत्तरकाशी के बाद चमोली में भी विद्युत बनेगी और इसके लिए जनपद चमोली के अन्दर जोशीमठ विकास खण्ड है उसमें लाता तपोवन 350 मेगावाट, तपोवन विष्णुगाड़ 500 मेगावाट और विष्णुगाड़ पीपलकोटी 350 मेगावाट की 3 योजनायें चल रही हैं। इसके लिए लगभग शासन स्तर पर एग्रीमेंट हो गया है। मान्यवर, तपोवन विष्णुप्रयाग जो एक सीमान्त क्षेत्र है, वहाँ से लगभग 200 की संख्या से अधिक ग्रामीण जनता आज विधान सभा के बाहर धरना दे रही है। उनकी मांग है कि जैसी हमारे क्षेत्र की स्थिति एवं जलवायु है, ऐसी ही जलवायु की भूमि उन्हें दे दी जाय। अगर सरकार उन्हें ऐसी जमीन नहीं दे सकती है तो उतनी धनराशि उस क्षेत्र की जनता को दी जाय। जिससे वह अपने लिए अन्यथा स्थान पर जमीन खरीद सके। मान्यवर, एन0टी0पी0सी0 के साथ सरकार का समझौता होता है और एन0टी0पी0सी0 और सरकार के बीच सहमति बन जाती है कि सर्किल रेट के आधार पर भूमि ली जायेगी। आज वहाँ पर धारा 9 की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो गई है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। उस क्षेत्र के लोगों से चमोली जनपद के तीन विधायक मैं, श्री अनिल नौटियाल जी एवं गोबिन्द लाल शाह एवं पूर्व मंत्री श्री केदार सिंह फोनिया जी, हम लोग वहाँ पर गये थे और उनकी माँगों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। परन्तु केवल आश्वासन ही जनता को मिल पाया है।

मान्यवर, आज ही प्रदेश की ऊर्जा राज्य मंत्री से हम लोग मिले हैं। लेकिन मिलने के पश्चात् सरकार की तरफ से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है कि इस क्षेत्र के लोगों को किस दर पर भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में तपोवन गाँव की 800 नाली, ढाक में 300 नाली, चमतोली में 1.24 हेक्टेयर, रविग्राम में 8.25 हेक्टेयर सैलंग में 1300 नाली तथा पैनी अणीमठ में 300 नाली जमीन नाप भूमि की जा रही है। मान्यवर, यह भूमि तो जा ही रही है, इसके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट बनेगा उसके लिए हाईटेंशन लाईन में भी कई एकड़ जमीन जाएगी। सीमान्त क्षेत्र की दृष्टि से लोगों की भावनाओं के अनुरूप यदि उनको ठीक

से मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो इस क्षेत्र में आन्दोलन की स्थिति बन जाएगी। एन0टी0पी0सी0 के सक्षम अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार जो राशि कहेगी, वह देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, आखिर सरकार दोहरे मानदण्ड क्यों अपना रही है? टिहरी और उत्तरकाशी के लिए अलग मानदण्ड हैं और चमोली के लिए अलग। चमोली में इतनी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के बाद आज पहली बार वहाँ के लोग विधान सभा के बाहर आए हैं। आखिर इस तरह से अलग-अलग मानदण्ड क्यों अपनाएं जा रहे हैं? मेरा सुझाव है कि जितनी भी इस तरह की परियोजनाएं बनायी जाती हैं, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, हिमाचल प्रदेश में विलासपुर में कोलडेम परियोजना के तहत जमीन की कीमत 25 से 50 हजार रुपया प्रति बीघा थी लेकिन वहाँ की सरकार द्वारा एन0टी0पी0सी0 से ठीक वार्ता करके लोगों को 4.50 लाख से 7 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी और यह राशि दी गई है। इस प्रकार की परियोजनाओं में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम नाप की भूमि होती है, जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मान्यवर, हम लोगों ने सरकार से माँग की है कि ग्रामीण क्षेत्र में नाप भूमि का 2 लाख रुपया प्रति नाली और नगर क्षेत्र में 3 लाख रुपया प्रति नाली के हिसाब से भुगतान किया जाय। इसके अतिरिक्त भवनों का जो वर्तमान मूल्य बनता है, वह दिया जाय तथा वहाँ पर जो वृक्षारोपण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है, उनका भी पैसा ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पेड़ भी काटे जा रहे हैं। इन सबके अतिरिक्त जो परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार अवश्य मिलना चाहिए। इन माँगों को लेकर वहाँ की जनता आज विधान सभा के सामने धरने पर बैठी है। सरकार को सीमान्त क्षेत्र के विषय को ध्यान में रखते हुए इस पर व्यवस्था करनी चाहिए। लोग बेघर हो रहे हैं, लोगों की पुश्तैनी जमीन जा रही है, उनको सम्मानजनक तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। मेरा अनुरोध है कि आज का शेष कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा करायी जाय।

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)-

मान्यवर, प्रस्तावित तपोवन, विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना केन्द्र सरकार के उपक्रम मैसर्स एन0टी0पी0सी0 लि0 को निर्माण हेतु आवंटित है। परियोजना के लिए भूमिधरों से भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रगति पर है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि के प्रतिकर/मुआवजे के निर्धारण तथा वितरण की व्यवस्था सुस्पष्ट की गयी है। इसी व्यवस्था के अनुसार ही सम्बन्धित भूमिधरों को प्रतिकर भुगतान हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सीधे–सीधे जवाब पढ़ दिया कि सर्किल रेट के अनुसार दे देंगे। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं। वहाँ पर रहने वाले समस्त परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ लोग बेघर हो रहे हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 1860 का एक्ट है। जो भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत आता है और सरकार भी भारत सरकार के इस अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्य करती है। जो भी इसमें कार्यवाही होगी वह नियमों के अनुसार ही होगी। सरकार भी यह चाहती है, वहाँ के काश्तकारों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसके लिए कार्यवाही प्रगति पर है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, एन0टी0पी0सी0 के डायरेक्टर ने कहा है कि सरकार हमसे धनराशि की माँग करेगी तो हम देंगे लेकिन इसके लिए सरकार को हमें लिखकर देना होगा।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, हम भी वहाँ के लोगों से मिले हैं। एन0टी0पी0सी0 के अधिकारियों ने वहाँ के लोगों से मौखिक रूप से धनराशि देने की बात कही है। लेकिन यह मौखिक आधार पर उनके अधिकारियों द्वारा वहाँ के लोगों से कही गई बात है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, जब तक सरकार माँगेगी नहीं तब तक एन0टी0पी0सी0 क्यों देगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सर्किल रेट में संशोधन करवा दिये जायें। अभी तो अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, पूरे राज्य में एक ही नीति कायम होगी। यह तो नहीं होगा कि पिथौरागढ़ में अलग नीति और उत्तरकाशी और चमोली में अलग नीति बनाई जाए। मार्केट रेट का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। जिलाधिकारी तीन साल की रजिस्ट्री देखते हैं जो रजिस्ट्री सबसे उपयुक्त होती है उसी को लिया जाता है और फिर सरकार उस पर नियमों के अन्तर्गत कार्य करती है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, सरकार एन0टी0पी0सी0 से धनराशि माँगने में क्यों हिचक रही है? वहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं सदन का परित्याग करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, थल से लगा हुआ गर्जिया गाँव है, वहाँ पर 32 परिवार अनुसूचित जाति, जनजाति के निवास करते हैं। यह गाँव राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। राम गंगा में बरसात में प्रतिवर्ष इतना तेज बहाव रहता है कि इससे वहाँ की जमीन बैठ जाती है और जो 32 परिवार हैं, उनके मकानों में दरार आ जाती है। जिस कारण वहाँ के लोग बरसात के मौसम में अपन घरों में न रहकर स्कूलों, पंचायत घर में निवास करते हैं। जिस कारण उस क्षेत्र की जनता की बार–बार यही माँग रहती है कि उनके उचित स्थान पर रहने की व्यवस्था की जाए। लगभग एक वर्ष पूर्व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दौरे पर वहाँ गई थीं, जब वे पुल पर उतरीं तो उन्होंने स्वयं देखा के पुल की जड़ में सुरक्षा दीवार की सख्त आवश्यकता है। यदि यह सुरक्षा दीवार न बनी तो पुल कभी भी बरसात में गिर सकता है, जिससे पूरे जनपद का सम्पर्क टूट जायेगा। इस पुल का सम्पर्क धारचुला, मुनस्यारी और डीडीहाट से है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक साल पहले अधिकारियों से कहा था कि इसका आंगणन बनाया जाय, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि गर्जिया गाँव में भी तटबंध बनाये जायं। मान्यवर, इस गाँव के लोगों के सामने मजदूरी की समस्या आ रही है, ये लोग बेरोजगार हैं। यह सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति गम्भीर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाय तथा रामगंगा नदी में तटबन्ध बनाया जाय। मान्यवर, यह तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोकमहत्व का विषय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने गर्जिया गाँव के पुनर्वास से सम्बन्धित प्रश्न नियम–56 के अन्तर्गत उठाया है। इस सम्बन्ध में पिथौरागढ़ जनपद के जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त है, उन्होंने सूचना दी है कि पुनर्वासित करने हेतु भूमि का चयन किया जा रहा

है। भूमि उपलब्ध होने पर विस्थापन की कार्यवाही शुरू की जायेगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त आपने पुल की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यह भी सच है कि मैंने इस पुल का एस्टिमेट बनाने के लिए कहा था। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करूँगी कि इसका एस्टिमेट आज तक क्यों नहीं बना है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत सुनने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं एक ऐसे विषय को माननीय सदन के सम्मुख उठा रहा हूँ, जिससे देहरादून ही नहीं बल्कि पूरा उत्तरांचल हिल गया था। राज्य बनने के बाद सम्भवतः पहली बार बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप आबकारी पर बोलें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आबकारी से सम्बन्धित सूचना तो आज हमारी नियम–311 के अन्तर्गत थी।

श्री अध्यक्ष–

आज आपकी शराब के ठेकों से सम्बन्धित जो सूचना नियम–311 के अन्तर्गत आयी थी, उसको मैंने नियम–56 के अन्तर्गत सुनने के लिए कहा था। मैं उसी पर आपको सुन रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माफी चाहता हूँ कि समझने में थोड़ा विलम्ब हुआ। मैं इस पर खेद प्रकट करता हूँ। चूँकि नियम–311 की सूचना को 56 में बदल दिया गया है। मान्यवर, इस पर 19 विधायकों ने हस्ताक्षर किये हैं, इस पर 19 के 19 विधायक बोलना चाहेंगे। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है कि ....।

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में अपनी बात को रखें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह ऐसा विषय है कि पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह संदेश गया कि उत्तरांचल सरकार माफियाओं के हाथ में गिरवी रखी है और माफियाओं के हाथों में खेल रही है। क्योंकि इसमें जो तथ्य सामने आये हैं उसमें दिया है कि 3 तारीख मार्च को कोई कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे कई दिन पूर्व ही शराब के कथित माफिया, जिनको हम ठेकेदार कहते हैं, को पता था कि पॉलिसी क्या आने वाली है और कौन–कौन सी नई दुकानें आवंटन होने वाली हैं तो उन्होंने पूरा ड्राफ्ट एक–डेढ़ हफ्ते पहले लगाया। मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र के रहने वाले जिन लोगों के पास दो समय का भोजन जुटाना मुश्किल होता है, उन्होंने लाखों का ड्राफ्ट लगा दिया। मान्यवर, ये शराब के व्यापारी हैं जो उत्तरांचल के बाहर के लोग हैं और उनके नौकरों, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को मालिक दिखाकर अपने नाम से शराब का आवंटन 2–3 सालों से किया जा रहा है, लेकिन इस बात की हद हो गई कि जब कैबिनेट में निर्णीत होने वाली पॉलिसी की नीति का पता पहले ही लग गया और उन्होंने करोड़ों के ड्राफ्ट पहले ही लगा दिये।

मान्यवर, मैं विवरण दे रहा हूँ कि पौड़ी में 2011, नैनीताल में 3245, देहरादून में 1639, हरिद्वार में 302, टिहरी में 500, रुद्रप्रयाग में 56, चमोली में 1700, उत्तरकाशी में 250, ऊधमसिंह नगर में 1786, अल्मोड़ा में 680, बागेश्वर में 2253, पिथौरागढ़ में 2887 और चम्पावत में 457 ड्राफ्ट लगाये गये। मान्यवर, इसमें से 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उत्तरांचल के मूल निवासी नहीं हैं। जो लोग पैसा लगा रहे हैं और जिनके नाम पर पैसा लगाया जा रहा है वह उत्तरांचल के मूल निवासी हैं। पर उनके नाम की कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है और वो ऐसे लोग हैं जो शराब के बड़े ठेकेदारों की दुकानों पर नौकरी करते हैं, शराब बेचा करते हैं। तो उत्तरांचल में इस तरह का मामला पहली बार हुआ है। मान्यवर, उत्तरांचल जा कहाँ रहा है, यह एक विचारणीय विषय है। अगर सब ठीक–ठाक है तो इस पर सरकार ने ड्राफ्ट निरस्त क्यों किये, निरस्त करने का क्या कारण था? मान्यवर, सरकार ने आज तक इस ओर नहीं देखा कि ये ड्राफ्ट लगाने वाले कौन हैं और ड्राफ्ट लगाने वाले की हैसियत नहीं देखी। यह तमाम ऐसी बातें हैं जिससे सरकार की पोल खुल गई। सरकार वास्तव में शराब के बड़े ठेकेदारों के हाथों में खेल रही है। मान्यवर, इस सरकार में कुछ विधायकों और 3 मंत्रियों ने अपनी सरकार के खिलाफ लिखित तौर पर एक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दी, जिसकी चर्चा सदन में भी हुई है।

मान्यवर, प्रत्येक विधायक को अपनी बात रखने का अधिकार है। परन्तु आज भ्रष्टाचार के छींटे पूरी सरकार पर गिरे हैं क्योंकि तीन मंत्रियों का 'आबकारी पॉलिसी लीक हो गई' करके लिखकर देना अपने मंत्रिमण्डल पर आरोप है। हर मंत्री

पर 'ज्वाइन्ट एण्ड सेवरल लाइबल्टी' का सिद्धान्त लागू होता है। इससे स्थिति स्पष्ट होती है और उस पत्र में लिखा हुआ है कि सरकार माफियाओं के हाथ में खेल रही है इससे गम्भीर मामला और हो ही क्या सकता है? इससे उत्तरांचल सरकार की पूरे भारत में बदनामी हुई है। मान्यवर, इसलिए इस पर मैं सदन की पूरी कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, यह विषय इस सदन में कल से उठ रहा है वह निश्चित रूप से गम्भीर विषय है। मान्यवर, चार वर्षों में पहली बार ऐसा क्षण आया जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर यह सदन अव्यवस्थित था। यह विषय विचार करने योग्य है कि आखिर यह क्षण किन परिस्थितियों में आया, जिन परिस्थितियों में सम्पूर्ण विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। यह संवैधानिक संकट उत्तरांचल सरकार के सम्मुख है। क्योंकि राज्य सरकार में कार्यरत जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य हैं वह स्वयं इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रिपरिषद् की रिपोर्ट निर्णय से पूर्व लीक हो गयी। मान्यवर, काजी जी ने पत्र लिखकर दिया, जिस पत्र में उल्लिखित था कि वर्तमान सरकार का शराब माफियाओं के साथ गठबन्धन है। यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय बन जाता है कि मंत्रिपरिषद् के निर्णय के पूर्व ही पॉलिसी लीक हो जाती है। समय से पहले इसकी सूचना शराब माफियाओं को दे दी जाती है उनके माध्यम से 23206 आवेदनकर्ताओं द्वारा ड्राफ्ट बना लिया जाता है। इन चार वर्षों में न जाने कितने क्षण आये हैं कि मंत्रिपरिषद् का निर्णय मंत्रि परिषद् की बैठक के पूर्व ही लीक हो गया। मान्यवर, सम्पूर्ण विपक्ष और सत्ता पक्ष के साथी और सम्पूर्ण प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि राज्य सरकार स्थिति स्पष्ट करे। क्या 23206 आवेदनकर्ताओं के ड्राफ्ट सरकार ने निरस्त किये या नहीं? यदि निरस्त किये गये तो निश्चित रूप से यह आरोप प्रमाणित है। मान्यवर, जब बजट पर विस्तृत चर्चा होगी तो उस समय भी मैं इस बात को उठाऊँगा। क्या इन आवेदनकर्ताओं से स्थायी निवास प्रमाण–पत्र माँगे गये, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई?

मान्यवर, राज्य के बाहर के व्यवसायी अपने विभिन्न माध्यमों से सारा उत्तरांचल का ठेका ले लेते हैं और यहाँ के बेरोजगार व्यक्तियों को अपना मुहरा बना लेते हैं। मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इन चार वर्षों में पहली बार इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इसके माध्यम से आज चर्चा होनी चाहिए। आप भले ही एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करें क्योंकि यह विषय राज्य की

मूल विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह विषय इस राज्य की मंत्रिपरिषद् के ऊपर विश्वसनीयता के रूप में है और इस स्थिति में सरकार को स्वयं ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ग्राह्यता के रूप में आपने सुना, मैं आग्रह करूँगा कि इन चार वर्षों में पहली बार आप ऐतिहासिक निर्णय लें और इसे स्वीकार करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बिन्दु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शायद सम्मानित मंत्रीगण भी इससे अवगत होंगे। हमने जब यह पूछा कि ये ड्राफ्ट कैसे लगे, हमको उत्तर दिया गया कि 15 प्रतिशत बढ़ाकर दिया गया है। टिहरी गढ़वाल में 4–5 दुकानें नयी खुली हैं और उनमें से 4 का टेंडर दिया गया है। इन चार दुकानों में पंजाब के बैंक ड्राफ्ट लगाये गये हैं। आखिर नयी दुकानों के लिए 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कैसे हुई? विभागीय अधिकारियों के माध्यम से शराब माफिया पहले ही पता कर लेते हैं। मान्यवर, कितना अच्छा होगा कि जो इस प्रकार के बैंक ड्राफ्ट लगाये गये हैं उन सभी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लॉटरी सिस्टम निकाला था। लेकिन अब शराब माफिया फिर अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। इनको यहां से बाहर खदेड़ें। मान्यवर, यहां पर इस सदन ने मेरे ऊपर भी संदेह किया कि आप शराब माफिया से जुड़े हुए हैं।

*श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, यह पुरानी बात है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह हंसने की बात नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसमें सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।

आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम यह सिद्ध करना शेष है कि नीति लीक हुई है कि नहीं, इसकी उच्चस्तरीय जांच करने की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री जी से कर दी गई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में 18 मार्च के दैनिक जागरण समाचार पत्र में लेख आया मैंने तुरन्त उसी दिन 4 मार्च से पूर्व बने सभी बैंक ड्राफ्टों को निरस्त करने के आदेश दे दिये तथा 21 मार्च, 2006 तक प्रारम्भिक जांच करने के आदेश सचिव आबकारी को दिये। 21 मार्च, 2006 को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट आने के बाद मैंने 21 मार्च, 2006 को ही तीन आदेश दिये। पहला–4 मार्च, 2006 के पूर्व के बने बैंक ड्राफ्टों के साथ प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाय। दूसरा–4 मार्च, 2006 के बाद से 16 मार्च तक बने बैंक ड्राफ्टों के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाय। तीसरा–आगे के चरणों के लिए 4 मार्च से बने पूर्व बैंक ड्राफ्टों के आवेदन करने वाले आवेदकों को सम्मिलित न किया जाय। उनको वंचित किया जाय।

सरकार की पारदर्शिता को बनाते हुये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उच्चस्तरीय जाँच कराने का अनुरोध किया है। जहाँ तक दुकानों के बारे में कहा गया है कि इसके बारे में कैसे पता लग गया कि लाइसेंस फीस क्या है। नई दुकानों को छांटने का काम और जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर इसका नुमाइंदा होता है और सेक्रेटरी एक्साइज की तरफ से एक नुमाइंदा होता है, यही कमेटी दुकानों का सलेक्शन करती है। इसके अलावा जो हमारी नियमावली है उसी के आधार पर लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 23602 ड्राफ्ट निरस्त किये गये तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर कोई गड़बड़ी होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि इन सब को देखते हुये नीति लीक नहीं हुई है? जो बढ़ी हुई दरें नीति में थीं क्या उन्हीं बढ़ी हुई दरों की धनराशि के ड्राफ्ट लिये थे या नहीं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जो लाइसेंस फीस होती है, वह निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट लिया जाता है। पहले हम इसे एग्जेक्ट देते थे। जैसे 10820 रुपये की फीस थी तो उसे लिया जाता था। लेकिन अब हमने इसे राउंड अप किया है और उसे 10 प्रतिशत ही लिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मंत्री जी को बात पूरी करने दें।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, हमने एग्जेक्ट लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत लेने का फैसला किया था और उसी हिसाब से ड्राफ्ट आये। मेरे मन में जब शंका हुई तो मैंने इन्हें निरस्त कर दिया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने 23602 ड्राफ्ट निरस्त कर दिये हैं। आपने कहा कि 10 प्रतिशत लिया जाता है वह तो पुरानी दुकानों का है, ठीक है। लेकिन टिहरी जनपद में जो 4 नई दुकानें खुलनी थीं, उनके भी ड्राफ्ट बन गये, तो इन नई दुकानों के लिए भी फीस के बारे में कैसे पता चल गया और इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी कोई उच्चस्तरीय जांच हो रही है या मात्र विभागीय सचिव के स्तर से ही इसकी जाँच होगी?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि यह कलेक्टर की जिम्मेवारी होती है कि किन दुकानों को छांटना है और कमेटी लाइसेंस फीस तय करती है और जो जांच का सवाल है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दिया है और उच्चस्तरीय जांच का अनुरोध किया है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, कलेक्टर किस का आदमी है?

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो यह ड्राफ्ट लिये जाते हैं, ड्राफ्ट लगाने से पहले जो ड्राफ्ट लगाने वाला व्यक्ति है उसकी आय के साधनों की जानकारी की जाती है? इसके अतिरिक्त क्या हैसियत प्रमाण पत्र और चरित्र सत्यापन की इन्क्वायरी की जाती है? अगर नहीं की जाती है तो क्या मंत्री जी इसके लिए विचार कर रहे हैं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी तमाम पॉलिसियों में शुरू से ही यह प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेन्सी बनी रहे। हमारे मूल निवासियों को ज्यादा फायदा हो इसलिए हम उनसे मूल निवास प्रमाण पत्र लेते हैं और हैसियत के लिए उसे तीन महीने के अन्दर देना होता है और चरित्र का भी कलेक्टर के माध्यम से सत्यापन होता है। मान्यवर, यह जाँच की जाती है कि क्या कभी किसी कोर्ट से उनको पनिशमेंट तो नहीं मिला है। इस प्रकार तमाम चीजें प्रमाणित की जाती हैं। इसके लिए उनको समय दिया जाता है, यह तुरन्त नहीं होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र और रेजीडेंस का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं प्रमाणिकता के आधार पर कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने ड्राफ्ट लगाए हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने 300 करोड़ रुपये के बैंक ड्राफ्ट यहाँ के नवयुवकों को माध्यम बनाकर लगाए हैं। जिन लोगों ने ड्राफ्ट लगाए हैं, उनकी हैसियत की निष्पक्ष जाँच करायी जानी चाहिए।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, लॉटरी सिस्टम के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि की जांच की जाती है। जितने भी आवेदन होते हैं, सबकी जाँच कर पाना सम्भव नहीं है। हमारे यहाँ 489 दुकानें हैं, तो इतनों की ही जाँच की जाती है। इन्हीं लोगों के बारे में तमाम कार्यवाही की जाती है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है कि हर बार कुछ गिने–चुने लोगों को ही दुकानें कैसे आवंटित हो जाती हैं? माननीय मंत्री जी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोगों को, मैं उन व्यवसायियों के नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं समझता, लेकिन उन्हीं लोगों को हर साल दुकानें आवंटित हो जाती हैं। चाहे कुमाऊँ मण्डल की दुकानें हों, चाहे गढ़वाल मण्डल की दुकानें हों, इन्हीं लोगों को हर साल दुकानें आवंटित हो जाती हैं।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन किया जाता है। डी0एम0 लॉटरी निकालते हैं, जिन लोगों का नाम आता है, उनको दुकानें दे दी जाती हैं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कलेक्टर लॉटरी निकालते हैं। लेकिन हमारे सामने आज जो स्थिति पैदा हुई है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि यह पॉलिसी पहले ही लीक हो गयी थी। तो क्या सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी, जिसकी वजह से यह पॉलिसी लीक हुई? इसके अतिरिक्त यह मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी है, इस सरकार के 3 मंत्री आरोप लगाते हैं कि सरकार द्वारा यह पॉलिसी लीक हुई है, तो क्या सरकार सामूहिक जिम्मेदारी को देखते हुए, इस्तीफा देगी?

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम चाह रहे थे कि माननीय मंत्री जी कुछ ऐसा वक्तव्य देंगे कि हम इस प्रकरण की जाँच कराएंगे और यह बताएंगे कि ये ड्राफ्ट बनाने के लिए पूँजी कहाँ से आयी, लेकिन सरकार गोल–मोल उत्तर दे रही है और सदन को गुमराह कर रही है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी, माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट, हरबंस कपूर, प्रकाश पंत तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहाँ पर ततैये बहुत सारे घूम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अगर इधर बैठे हुए लोगों को ततैयों ने काट लिया तो कोई बात नहीं लेकिन यदि उधर बैठे हुए लोगों को काट लिया तो कहेंगे कि सरकार ने कटवा दिया है।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2006 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

मान्यवर, "इस बेवजह के शोर का पूछूँ सबब फुर्सत नहीं, काम करने हैं कई, मैं अभी मशरुफ हूँ।" मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सर्वप्रथम उत्तराखण्ड आन्दोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के प्रति नमन व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने इस बात पर हर्ष भी जताया कि सम्मानित सदन द्वारा जनभावनाओं के अनुरूप उत्तरांचल का नाम उत्तराखण्ड

करने हेतु एक संकल्प पारित करने के उपरान्त सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से पुनः यथाशीघ्र कार्यवाही संपादित करने का अनुरोध किया गया है। यह उत्तराखण्ड के लाखों लोगों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ था। मान्यवर, हमारी सरकार ने शहीदों के प्रति जो सम्मान दिखाया है वह इसको दृष्टिगोचर करता है कि हमारी सरकार आन्दोलनकारी ताकतों के कल्याणार्थ कृत संकल्प हैं। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सूखे के बारे में बड़ी चिन्ता जताई। हमारी सरकार सूखे के प्रति बहुत चिन्तित है तथा सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वसूली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। मान्यवर, यह सूखा पहली बार नहीं पड़ा है। तमाम अवसरों पर सूखे की स्थिति पैदा हुई है, किन्तु इतनी गम्भीरता से आज तक सूखे की स्थिति को किसी सरकार ने नहीं लिया। हमारी सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम प्रारम्भ करने, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने, खाद्यान्न आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पशुचारे तथा उपचार की व्यवस्था तथा रोजगारपरक कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दे दिये हैं। हमारी सरकार सड़कों, पेयजल और तमाम सारी बुनियादी जरूरतों के प्रति बहुत चिन्तित है और आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। मैं कण्डारी जी के शब्दों में कहूँ तो कहूँगा कि अच्छा होता कि अगर सदस्य इस शोर शराबे की जगह ....।

भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य व विपक्षी दलों के अन्य सम्मानित सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय की अगवानी करने के साथ ही सदन में महामहिम वापस जाओ–वापस जाओ के नारे लगाये। मान्यवर, बहुत ही शर्मनाक दृश्य था। यह बहुत ही गलत परम्परा है। यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। मान्यवर, पिछली सरकार के [x x x] के कारण हमारा राजकोष काफी कम था। मान्यवर, सरकार गठन से पूर्व हमारा बजट हिमाचल के मुकाबले 66 प्रतिशत था जो आज बढ़कर ढाई गुना हो गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, [x x x] शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए यह असंसदीय शब्द है।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, कुकर्म का आशय पिछली सरकार की जनविरोधी नीतियों से है।

श्री अध्यक्ष–

[x x x] शब्द को कार्यवाही से निकाल दें।

नोट [x x x] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण पढ़ रहे थे तो हमारे विपक्ष के साथी महामहिम को झूठ का पुलिंदा पढ़ रहे हैं यह कहा जा रहा था। साथ ही अभिभाषण को फर्जी भाषण कहा जा रहा था। मान्यवर, ये शब्द गैर संसदीय है। यह बहुत ही गलत परम्परा है। मान्यवर, जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय राज्य का वार्षिक बजट हिमाचल प्रदेश के बजट के आस–पास था। मान्यवर, आज जो हमारा वार्षिक बजट तय हुआ है, वह हिमाचल प्रदेश के बजट से ढाई गुना ज्यादा है। वर्तमान में हमारा बजट चार हजार करोड़ का है। मान्यवर, राज्य की जनता ने जिन भावनाओं के लिए आन्दोलन किया था, उन्हीं भावनाओं के अनुरूप कार्य किये गये हैं। मान्यवर, इससे राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी मिलेगी, सड़कें बनेंगी, बिजली उत्पादन के साथ ही विद्युतीकरण के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त करने और ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य होंगे।

मान्यवर, मैं माननीय कण्डारी जी के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि "कितना अच्छा होता, इसके लिए विपक्षी दल माननीय नेता सदन को बधाई देते"। मान्यवर, हमारी सरकार के नेतृत्व में कोटद्वार और मेरे विधान सभा क्षेत्र ढालवाला, पंतनगर क्षेत्रों की औद्योगिक गतिविधियां सीमित थीं। मान्यवर, हमारी सरकार ने 20 हजार औद्योगिक घरानों को उत्तरांचल में निवेश के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने 20 हजार करोड़ का विनिवेश किया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करके हिन्दुस्तान के अगड़े राज्यों में सम्मिलित किया है। मान्यवर, ऐसा करके हमारी सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के बच्चों को जिनको उम्मीद ही नहीं थी, उनको देश के अगड़े राज्यों के बच्चों के समानान्तर खड़ा किया है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, दिल्ली के प्रगति मैदान में जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2005 लगा, उसमें हमारे राज्य ने पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया, उसके लिए सरकार को बहुत–बहुत बधाई। मान्यवर, माननीय सदस्यों द्वारा किसानों की बात यहाँ पर उठाई गयी। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस ओर भी सराहनीय कार्य किया है। मान्यवर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लक्ष्य सात हजार से बढ़ाकर आठ हजार कर दिया है। मान्यवर, सरकार जो विभागीय ऋण वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना ला रही है, उससे आम व्यक्ति को लाभ मिलेगा। मान्यवर, हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योगों के लिए भी सरकार के अपने कार्यों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, इन उद्योगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार मेलों का आयोजन कर राज्य के विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं। उसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरी सरकार द्वारा

राज्य में अधिकाधिक पूँजी निवेश बढ़ाए जाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 20 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और राज्य में पहले ऋण जमा अनुपात 24.26 प्रतिशत था और आज माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, माननीय मंत्रियों और सभी के कार्यों के द्वारा यह 43.89 प्रतिशत बन गया, इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी आबकारी नीति की बात आई, तो यहाँ वही बात कही गई जो बात आई तो उसकी जाँच की जायेगी, उसको ब्लैक लिस्ट किया जायेगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया है। मान्यवर, "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और ये कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता।"

मान्यवर, जब राज्य का निर्माण हुआ था तो निश्चित रूप से जो आन्दोलन इस राज्य के लोगों ने किया उसके पीछे यही था कि राज्यवासियों को बुनियादी आवश्यकतायें प्राप्त हों। मान्यवर, आजादी के बाद भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र से पलायन बढ़ रहा था और हमारी बुनियादी आवश्यकतायें नहीं प्राप्त हो रही थीं और यही कारण था कि लोग सड़कों पर उतर आये। मान्यवर, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार पूरे राज्य में सड़कों का जाल बना रही है। मान्यवर, अपने विधानसभा क्षेत्र में उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा कि पिछले 12 वर्षों में मेरे क्षेत्र में कुल 26 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, इसका मतलब ढाई–तीन करोड़ की सड़क बनी और आज सरकार के द्वारा राज्य सेक्टर में 1700 करोड़ की सड़क बनी, कुल मिलाकर स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान्ट के सहित 27 सौ करोड़ की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, आजादी से लेकर हमारी सरकार बनने तक पूरे राज्य में मैं समझता हूँ कि 1500 के आस–पास इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल थे और आज 2000 हैं, इसका मतलब 500 हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट खोले, उसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, आज हमारे राज्य की सड़कें क्वालिटी के मामले में और राज्यों से बीस के रूप में खड़ी हैं। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग में नेशनल बिडिंग से काम हुआ और जब 10 वर्षों में 26 किलोमीटर सड़क बनी तो 104 लोगों ने काम किया और आज 27 सौ करोड़ का काम लोकल बिडिंग से हो रहा है जिससे 22 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है।

मान्यवर, मैं मा0 विपक्षी सदस्यों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ "तुम आसमां की बुलन्दी से जल्द लौट आना हमें जमीं के मसायल की बात करनी है"। मान्यवर, आज निश्चित रूप से इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि जब हमारी सरकार बनी तो यहाँ पर सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी और सड़कें बड़ी संकरी थीं। हमारे सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि हमारी सरकार ने सड़कों का चौड़ीकरण किया और हमारी सरकार द्वारा कई स्थानों पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। हमारी सरकार ने देहरादून में आई0एस0बी0टी0 का निर्माण किया और पाँच सौ

पच्चीस नई बसें चलाई हैं। विगत वर्षों में परिवहन विभाग को 10 करोड़ का घाटा था और इस वर्ष इसमें एक करोड़ का फायदा हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार द्वारा वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के नियंत्रण में लगभग रुपये 4.00 करोड़ लागत का एक वृहद प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में केन्द्र सरकार के सहयोग से स्वीकृत किया गया है। इससे दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, बिजली की बात है, मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य की प्रथम निर्वाचित मेरी सरकार द्वारा प्रारम्भ में ही राज्य में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन सम्भावनाओं के दृष्टिगत 05 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था। आज लगभग 12578 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित हैं तथा विकास व क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, तमाम बुनियादी आवश्यकताओं को देखते हुए हमारी सरकार ने टिहरी बाँध की टी–2 को बन्द किया। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, 2007 तक इतना विद्युत उत्पादन होगा कि इससे हमारी सरकार को 12% रॉयल्टी मिलेगी। हमारी सरकार राज्य में सम्भावित एवं चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्ण प्रयास कर रही है, जिससे राज्य में विद्युत की माँग पूर्ण की जा सके। मान्यवर, ए0पी0डी0आर0पी0 के द्वारा विद्युत लाईनों को सुधारा जा रहा है। जो पुरानी विद्युत लाईनें हैं उनका भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ पिछले चार सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, केवल स्वास्थ्य ही नहीं पी0डब्ल्यू0डी0, शिक्षा, विद्युत आदि सभी क्षेत्रों में सरकार ने इतना काम किया है कि हमारे सम्मानित विपक्षी दलों के सदस्य अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बोलें कि यह बात गलत है। (हँसी)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम उनकी आत्मा पर हाथ रखकर बोल देंगे।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, 465 केन्द्रों में पहली बार हमारी सरकार ने फार्मेसिस्टों की नियुक्ति की है। जिससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जन मानस को काफी राहत मिलेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या आपने आज ई–टी0वी0 की रिपोर्ट नहीं देखी। इसमें बताया गया है कि एक फार्मेसिस्ट मुख्यमंत्री जी के यहाँ दवाई दे रहा है। (व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, "साकी शराब पीने दे मस्जिद पर बैठकर, या यह बता दे कि कहाँ खुदा नहीं है।" मान्यवर, 465 केन्द्रों में फार्मेसिस्टों की नियुक्ति कर दी गई है। इससे हजारों हजार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। मान्यवर, 45 ब्लॉकों में पी0एच0सी0 को अपग्रेड करके सी0एच0सी0 कर दिया गया है। इसके अलावा उपकरणों से सुसज्जित नौ मोबाईल वैनों को चलाया है। इसमें से एक वैन को मेरे क्षेत्र में भी चलाया गया है। राजधानी देहरादून में दून अस्पताल पहले एक पिछड़े अस्पताल के रूप में स्थापित था, लेकिन आज दून अस्पताल उत्तर भारत के अच्छे अस्पताल के रूप में जाना जाता है। कोरोनेशन अस्पताल को भी उपकरणों से सुसज्जित करके उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। राज्य में तीन सिटी स्कैन केन्द्र खोले गये हैं श्रीनगर, अल्मोड़ा और देहरादून में ये केन्द्र खोले गये हैं। मान्यवर, बीसियों साल से नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर बन्द पड़ा हुआ था, अब इसे हमारी सरकार ने चालू कर दिया है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, आयुर्वेदिक अस्पतालों से लेकर एलौपैथिक अस्पतालों की बात हो तो हमारी सरकार ने ....।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अजय भट्ट जी बार–बार कह रहे हैं कि हमारे समय में, हमारे समय में। तो मेरा अनुरोध है कि फाइल मंगाकर देख ली जाय तो पता चल जायेगा कि कितना कार्य इन्होंने किया है। मान्यवर, इनके समय में ए0एन0एम0 सेंटर बन्द थे, हमने प्रयास किया और यह निर्णय किया कि प्रतिवर्ष 125 महिलायें ए0एन0एम0 बनेंगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, इस टोकाटोकी के बीच में माननीय विपक्षी दलों के सदस्यों के व्यवहार पर एक शेर कहना चाहता हूँ।

कातिल से कोई पूछे, फन–ए सितमगरी का,
10–10 का कत्ल करना और बेगुनाह रहना।

मान्यवर, राज्य के लोगों को शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के साथ–साथ सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों को शान्ति व्यवस्था और अमन चैन दे सके। हमारी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि उसने 4000 पुलिस की भर्ती तो पहले ही कर दी थी और 3000 की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। सरकार ने

पुलिस के लिए जो यंग प्रोफाइल देने का कार्य किया है, वह बधाई के काबिल है। नये लड़कों को भर्ती करके जहाँ एक ओर रोजगार दिया गया है वहीं पुलिस को यंग जनरेशन देकर उन्हें यंग प्रोफाइल दिया ताकि वह 15–20 साल तक युवावस्था में ही काम कर सकें, ऐसा प्रयास किया है। इससे पहले हमारी सरकार ने सब इंस्पेक्टरों की भी भर्ती की थी और यही नहीं हमारी सरकार पुलिस को आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रही है। पुलिस बल को यंग और आधुनिक बनाकर जनता को भयमुक्त समाज देने का कार्य करने के प्रयासों के लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। (व्यवधान)

मैं अगर बोलूंगा तो फिर आप कहेंगे कि बोलता है। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो जनता की बुनियादी जरूरत है पीने का पानी उसके लिए निरन्तर प्रयास किया और सफल हुई। जो 456 बन्द और 400 आंशिक बन्द पेयजल योजनायें थीं उन्हें फिर से चलाया और इसके अतिरिक्त 13 पम्पिंग योजनाओं का निर्माण पूरा होने वाला है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि इस साल हमारी सरकार ने 12 और पम्पिंग योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाना है। सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकार और जरूरत को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और शान्तिपूर्ण जिन्दगी आम जनता को देने का कार्य सरकार कर रही है। मुझे याद है और नेता प्रतिपक्ष माननीय कण्डारी जी को भी याद होगा कि मेरे क्षेत्र में पहले 2 या 3 ही हैण्डपम्प लगे थे जो छोटे–छोटे थे और जो उनके उद्घाटन के पत्थर लगे थे, वह बड़े–बड़े लगे थे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों में 70–80 हैण्ड पम्प तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में लग गये हैं और वह भी बिना किसी नाटकबाजी के। जिससे उद्घाटन में होने वाला 3–4 हजार का खर्चा भी बच गया है। (हँसी)

पेयजल के क्षेत्र में भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। मान्यवर, पिछले 4 वर्षों में 60240 नयी पेयजल योजनाओं को चालू कर सरकार ने पेयजल के प्रति अपनी चिन्ता को प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने 112 नये नलकूप बनाने का काम भी किया है। 179 स्वचालित नलकूपों का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, हमारी सरकार आने से पहले राज्य में कुल 10316 शौचालय स्थापित थे। हमारी सरकार ने 4 वर्षों में 21243 नये शौचालय बनाकर ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता के प्रति अपनी चिन्ता को प्रदर्शित किया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने कम्पोस्ट पिट और सोकपिट पहले थे, उससे कई गुना ज्यादा हमारी सरकार ने बना दिये हैं। इससे भी हमारी सरकार की स्वच्छता के प्रति चिन्ता प्रदर्शित होती है, इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, हमारी सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने

को-आपरेटिव के माध्यम से लघु किसानों को 5 प्रतिशत पर ऋण मुहैया करवाया है। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना की भी शुरूआत की है। इसके साथ ही यदि किसी काश्तकार परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है और वह परिवार असहाय हो जाता है तो नारायण कृषक योजना के तहत उस परिवार को लाभ देने के लिए यह योजना बनायी गयी है। मैं इस बात के लिए भी अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, कितना अच्छा होता कि माननीय कण्डरी जी भी बोल लेते। नगरीय विकास के प्रति हमारी सरकार ने जो चिन्ता दिखाई है, उसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। विगत वर्ष इसके लिए 5 करोड़ रुपया निर्धारित था, लेकिन इस वर्ष हमारी सरकार ने योजनागत खर्चे में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। इससे हमारी सरकार की विकास की अवधारणा को मजबूती मिलती है। नगरीय विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बोर्ड से 800 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। हमारी सरकार इस प्रदेश के नगरों को देश के महानगरों के समकक्ष खड़ा करने के लिए प्रयासरत है। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम इसमें अवश्य सफल होंगे। सभी स्थानीय निकायों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, मैं नरेन्द्र नगर में रहता हूँ, वहाँ पर मेरा स्थाई निवास है। हमारी सरकार से पहले जब शहरी गरीब लोग हमारे पास आते थे और कहते थे कि इन्दिरा आवास के अन्तर्गत एक आवास दिला दीजिए, तो हमको कहना पड़ता था कि इन्दिरा आवास योजना गाँवों के लिए है। लेकिन वाल्मीकि आवास योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के गरीबों को भी एक कमरे का आवास दिया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई दीजिए।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, आप हमें बधाई दीजिए और हम उनको बधाई दे देते हैं। मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना है। बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जनता को शिक्षित बनाया जाय! आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। मान्यवर, आज उत्तरांचल में राज्य के हर विद्यालय को कम्प्यूटराईज्ड किया जा रहा है। साथ ही समस्त हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेजों में आरोही परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण बच्चों को कम्प्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है। जो गरीब अभिभावक एम0सी0ए0 के कोर्स के लिए अपने बच्चों को पैसे नहीं उपलब्ध करा पाते थे वे आरोही परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। और उनके बच्चे एम0सी0ए0 की डिग्री प्राप्त

कर रहे हैं। यह हमारी सरकार की राज्य के प्रत्येक नौजवान के उत्थान की सोच को परिलक्षित करता है। मान्यवर, आज हमारे राज्य में 10 डिग्री कॉलेज हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं पिछली सरकार द्वारा जो बिना किसी वित्तीय व्यवस्था के विद्यालय खोल दिये गये थे, उन पर पदों के सृजन का कार्य भी किया गया। हमारी सरकार द्वारा हजारों लोगों को रोजगार प्रदान किया गया जो निश्चित रूप से भूतो न भविष्यति को परिलक्षित करता है। हमने शिक्षा मित्र, शिक्षा आचार्य और सहायक अध्यापकों के रूप में तथा प्रवक्ताओं के रूप में नियुक्तियाँ दीं। बी0टी0सी0 को पुनर्जीवित किया। इस तरह से रोजगार के क्षेत्र में तमाम कार्य हमारी सरकार द्वारा किये गये। जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगे और आने वाले समय में हम फिर इसी जगह पर आयेंगे और फिर से आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान का उत्तरांचल पहला राज्य है जिसमें केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत पूरे देश में शिक्षा आचार्य को एक हजार रुपये दिये जाते हैं और शिक्षा मित्रों को 1500 रुपये और हम शिक्षा आचार्य को 2500 रुपये दे रहे हैं व शिक्षा मित्रों को 3000 रुपये। यह हमारी सरकार की कमजोर आदमी के प्रति अच्छी सोच को परिलक्षित करता है। मान्यवर, शिक्षा मित्र शिक्षा आचार्य, शिक्षा बन्धु और विजिटिंग प्रवक्ता और व्यवसायिक शिक्षक यह सारी की सारी बीमारियाँ पिछली सरकार के जमाने की हैं। (हँसी)

श्री महेन्द्र भट्ट–

शिक्षा मित्र शिक्षा आचार्य, शिक्षा बन्धु और विजिटिंग प्रवक्ता और व्यवसायिक शिक्षकों को बीमारियाँ बता रहे हैं।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, बीमारी का आशय यह है कि शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु बनाकर उनका शोषण किया जा रहा था। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।) हमारी सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को सम्मान देने का कार्य किया। मान्यवर, हमने पर्यटन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनायी है। मान्यवर, इस क्षेत्र में हमने केन्द्र से जितना पैसा सम्भव था, उससे ज्यादा पैसा लिया है, इसके लिए सरकार को बधाई है। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट कॉस्ट जो पहले 10 लाख थी, उसे बढ़ाकर 15 लाख कर दी है और इस पर 20 से 25 प्रतिशत की सब्सिडी कर दी गई है। मान्यवर, पर्यटन को बढ़ाया, मास्टर प्लान बनाये। इसी दिशा में रानीखेत से नैनीताल, पौड़ी (खिर्सू) ....। (व्यवधान)

मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने योजनागत पैसे को तनख्वाह में बांटा। आज ये विकास के कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न हवाई पट्टियों का निर्माण किया है व किया जा रहा है। मान्यवर, इसी क्षेत्र में पंतनगर से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली आदि हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, और इस दिशा में जनपद पिथौरागढ़ में नैनी-सैनी हवाई पट्टी का विस्तार कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में और भी प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, मुनिकीरेती, तपोवन, देवप्रयाग आदि स्थलों पर स्नान घाट नहीं थे, इस दिशा में पहले किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार ने इस दिशा में कार्य किया। आज ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री आ रहे हैं, क्योंकि इनको सुविधाएं मिल रही है। मान्यवर, राजस्व के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने सम्पूर्ण भू-राजस्व अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। आज हर व्यक्ति को अपने खाते की जानकारी कम्प्यूटर से मिल जाती है। मान्यवर, जैसा कि राज्य निर्माण के पीछे हर व्यक्ति की अवधारणा थी कि शासन-प्रशासन से उनकी नजदीकियां रहेंगी, इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने 29 नई तहसीलों और 6 उप तहसीलों का निर्माण किया है। मान्यवर, इससे विकास कार्यों में गति आयी है।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, पटवारियों को एस0डी0एम0 बना दिया गया है।

श्री सुबोध उनियाल-

मान्यवर, पटवारियों को नहीं बनाया गया है, बल्कि लोक सेवा आयोग से चयनित नायब तहसीलदारों को बनाया है। यह लोक सेवा आयोग व कर्मचारियों का अपमान है। (व्यवधान)

मान्यवर, गाँवों के अन्दर शान्ति बनी रहे इसके लिए सरकार ने 6287 ग्राम प्रहरियों की नियुक्ति कर दी है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, हमारा राज्य आपदाओं का प्रदेश रहा है, हमारी सरकार के द्वारा बेहतर प्रबन्धन के लिए उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है। जिसके द्वारा तमाम तरह की आपदाओं का निवारण होगा। मान्यवर, 1998-1999 के भूकम्प से पीड़ित हजारों लोगों को आज भी पैसा नहीं मिला है, मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए सरकार कुछ करे। मान्यवर, समाज कल्याण के मामले में समाज में दबे, कुचले, हरिजन, दलित के लिए भी सरकार ने काम किया। मान्यवर, एस0सी0, एस0टी0 की छात्रवृत्ति दुगुनी कर दी। मान्यवर, विकलांगों के लिए स्पेशल राइट्स दिया, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं

के जीविकोपार्जन हेतु पहले 500 रुपये का अनुदान मिलता था जिसे अब सरकार ने 1000 रुपये कर दिया है, इसके लिए भी सरकार ने काम किया है इसलिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए 10 हजार की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गयी है। मान्यवर, यह उन लोगों के लिए किया जिनका देश के प्रति योगदान रहा।

मान्यवर, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है और 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाया और उसके लिए दो पी0ए0सी0 वाहिनियों में एक-एक महिला कम्पनियों का गठन किया है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, जब चुनाव जीतकर आये थे तो हम लोग कोशिश करते थे कि 2-4 ग्राम पंचायत मिल जाये, पर आज प्रदेश में साढ़े चार हजार ग्राम पंचायत हैं। मान्यवर, वानिकी के क्षेत्र में जनसहभागिता को वन प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए जनसमुदायों को वानिकी में वन पंचायतों के माध्यम से भागीदारी प्रदान की जा रही है। मान्यवर, वर्तमान में 14643 ग्रामों में से 12089 वन पंचायत हैं, इसके द्वारा गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रोजगार देने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार इस क्षेत्र में और भी कार्य करे ताकि आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। मान्यवर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में स्थान मिला है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र हैं। मान्यवर, इस प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए सरकार ने 14 नये आई0टी0आई0 खोले हैं। व्यवसायिक शिक्षक जिन्होंने बी0एड0 किया है वह तो नौकरी पर लग रहे हैं लेकिन जिन्होंने आई0टी0आई0 किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार व्यवसायिक शिक्षकों के प्रति न्याय करते हुए उनकी 16 वर्षों की बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें आई0टी0आई0 में समायोजित करने का निर्णय ले। हमारी सरकार ने राज्य के सभी पेंशन भोगियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है। हमारी सरकार से पहले जो सरकार थी तब से ये आन्दोलनरत थे, उनके प्रति सरकार ने उचित कदम उठाया है।

मान्यवर, सचिवालय में कर्मचारी नहीं थे, सरकार द्वारा विभिन्न संवर्गों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और सहायक लेखाकार के पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा है। इससे सरकार कार्य की गति का बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमारी सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किये गये हैं वह निश्चित रूप से आने वाले समय में पुनः

यथास्थिति बनाये रखने में सहायक होंगे। इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जो कार्य किया गया वह आम जनता की मूल आवश्यकताओं को देखते हुए किया है। इसी के साथ ही मैं राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूँ। हमारे विपक्ष के साथी अपने सारे संशोधन वापस लेकर महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विजयपाल सिंह सजवाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि सदन ने मुझे अपनी सरकार की 4 वर्षों के कार्यकाल में किये गये जन आकांक्षाओं के अनुरूप, उत्तरांचल राज्य के तमाम इलाकों में उत्तराखण्ड वासियों की अपेक्षानुसार जो विकास के कार्य किये हैं उसका जो माननीय राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के रूप में दस्तावेज सदन में रखा गया उस पर कहना चाहूँगा। मान्यवर, मैं सबसे पहले धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा अपनी सरकार को कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुरूप और हमारे राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा और पुनः इसे यथाशीघ्र सम्पादित करने का अनुरोध किया इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारा 900 करोड़ रुपये का बजट था उसे 1200 करोड़ रुपये करने का जो प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। असहाय वर्ग के कल्याण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाये गये हैं, इससे उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

मान्यवर, 2006–07 के वार्षिक बजट के लिए मैं अपने सदन के नेता और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, विकास पुरुष माननीय पं0 नारायण दत्त तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाते हुए गत वर्ष की तुलना में व्यापक रूप से वृद्धि कर चार हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी बधाई देता हूँ। इस अवसर पर जहाँ प्रतिपक्ष के साथियों द्वारा यह चिन्ता व्यक्त की गयी कि सूखे की स्थिति के कारण विभिन्न जनपदों में रबी की फसल को क्षति पहुँची है। हमारी सरकार द्वारा त्वरित सूखा राहत हेतु पेयजल आपूर्ति हेतु रुपये 27 लाख तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु रुपये 53.70 लाख की स्वीकृति जनपदों को प्रदान की गयी है। यह तात्कालिक राहत के रूप में भेजी गयी

है। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने किसानों की वसूली पर रोक के आदेश दिये।

मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं सड़क, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल हैं। महत्वपूर्ण विकास की योजनाओं पर मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। आजादी के बाद भी और इन 15 वर्षों में प्रतिपक्ष की सरकारों के रहते हुए भी दूरस्थ क्षेत्रों में यातायात की सुविधा नहीं हो सकी है। आज भी ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ कई किलोमीटर लोग पैदल चलकर आते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लिए सड़कों की स्वीकृति दी है। आज असफोट से आराकोट तक सड़कों की स्वीकृति दी गयी है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। इन चार वर्षों में हमारी सरकार द्वारा यातायात के साधनों में वृद्धि की गयी है। राज्य के दोनों मण्डलों कुमाऊँ तथा गढ़वाल की कनेक्टीविटी को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं और देश की राजधानी दिल्ली से देहरादून के मार्ग का चार लेन तक चौड़ा करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एन0एच0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत चयनित किया जा चुका है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, इससे हमारी कुमाऊँ और गढ़वाल आने-जाने की दूरी कम हो गई है।

मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को कि जो हमारा संकल्प था, अपने इस राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने का, जो हमारा संकल्प था कि 5 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके सापेक्ष वर्तमान में लगभग 1400 मेगावाट क्षमता की योजनायें संचालित हो रही हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकृत योजना के अधीन सभी जनपदों के अवशेष गाँवों और पूर्व में विद्युतीकृत परन्तु अब विद्युत आपूर्ति बाधित गाँवों के विद्युतीकरण के लिए 658.79 करोड़ लागत की योजनायें बनाकर भारत सरकार की नोडल एजेन्सी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत 787 नये गाँवों, 682 पुराने विद्युत बाधित गाँव, 2039 तोकों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है और इसके अलावा 2,81,615 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन निःशुल्क देने की योजना प्रस्तावित है। जो हमारी छोटी-छोटी नदियाँ हैं उनके द्वारा माइक्रोहाइडिल प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। जिसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। ऊर्जा प्रदेश के रूप में इस प्रदेश को विकसित किया जा रहा है और जो हमारे सीमान्त जनपद हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और चमोली में विद्युत की जो महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनायें चल रही हैं, वह लगभग पूरी होने जा रही हैं। मान्यवर, मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि इन महत्वपूर्ण योजनाओं में जिन स्थानीय

लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन लोगों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज नियमों को शिथिल करते हुये हमारी सरकार बनायेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इसके अलावा जिन लोगों की भूमि अध्याप्त की गई है, उन्हें उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह ग एवं घ में नियुक्ति दी जानी चाहिए।

मान्यवर, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय और क्रान्तिकारी कार्य किये हैं जिसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये कार्यों को एक तुलनात्मक अध्ययन द्वारा देखा जाय तो स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। वर्ष 2000 में जहाँ मात्र 1225 स्वास्थ्य उपकेन्द्र थे वहीं आज 2005 में यह संख्या 1576 हो गई है। इसी प्रकार 2000 में पी0एच0सी0 मात्र 134 थे, वहीं आज 2005 में इनकी संख्या 225 हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ 2000 में 23 ही थे वहीं आज यह संख्या 44 की हो गई है। जिला अस्पताल जहाँ 2000 में मात्र 10 थे वहीं आज यह संख्या 13 हो गई है। इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारियों की संख्या जहाँ 2000 में 740 थी, हमारी सरकार ने यह संख्या बढ़ाकर 969 कर दी है। इसके अलावा महिला स्वास्थ्य अधिकारी जहाँ 2000 में मात्र 116 थीं आज 2005 में उनकी संख्या 155 हो गई है। राज्य में 13 ब्लड बैंकों को स्थापित किया गया, इसी प्रकार से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और फार्मासिस्टों की नियुक्ति भी की गई है। मान्यवर, आज 5 जिलों में ट्रॉमा सेन्टर खोले गए हैं। अधिकांशतः देखा जाता था कि जहाँ पर दुर्घटनाएं होती थीं व दैवीय आपदाएं होती थीं, वहाँ पर प्राथमिक उपचार में कठिनाई होती थी। अब इसके लिए कई जिलों में सिटी स्कैन, उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गयी है।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा, हमारे राज्य के दूरस्थ क्षेत्र के स्कूलों का उच्चीकरण होना अति आवश्यक था। इस क्षेत्र के स्कूलों का उच्चीकरण करने के लिए मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 20 हजार शिक्षकों की नियमित नियुक्ति करके हमारी सरकार ने इस प्रदेश के पढ़े-लिखे बेरोजगार नवयुवक, जो बेकार घूम रहे थे, उनको रोजगार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अंशकालिक शिक्षकों एवं संविदा पर रखे गये शिक्षकों का भी नियमितीकरण हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में तथा पेयजल के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हमारी सरकार ने हासिल की हैं, उनके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जनआकांक्षाओं के अनुरूप विकास की योजनाओं को इस अभिभाषण के दस्तावेज में रखा गया है। अन्त में मैं एक बार पुनः महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:–

[1. प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना,

2. ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन का उल्लेख किया जाना,

3. रोजगार और स्वरोजगार की कोई ठोस नीति बनाया जाना,

4. अफसरशाही पर अंकुश लगाया जाना,

5. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, विजिटिंग प्रवक्ताओं, शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु आदि का नियमितिकरण किया जाना,

6. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त करना,

7. अति दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना,

8. प्रदेश में वन एवं नजूल भूमि पर वर्षों से काबिज कृषकों की भूमि का नियमितिकरण किया जाना,

9. कृषि के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना,

10. राष्ट्रीय पार्कों और पशु विहारों के निकट बसे गाँवों को हक–हकूक दिलाना,

11. सूखाग्रस्त प्रदेश के किसानों को ठोस राहत दिलाने की कार्ययोजना बनाना,

12. नई तहसीलों, उप तहसीलों में स्टाफ, भवन, फर्नीचर की सुविधा दिलाना एवं उन्हें संचालित करना,

13. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों का बंटवारा करना,

14. प्रदेश के भेड पालकों की ऊन के विपणन की व्यवस्था करना,

15. सभी विभागों में छोटे–छोटे टेण्डर आमंत्रित करना, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकें,

16. जिनके पास मूल निवास प्रमाण–पत्र हैं उन्हें स्थाई मूल निवास प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए बाध्य न करना,

17. प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में मानक के आधार पर अध्यापकों की तैनाती करना,
18. दैवीय आपदा के बजट का समय पर सदुपयोग करना,
19. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना,
20. विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए ठोस कदम उठाना,
21. रोजगार एवं स्वरोजगार योजना के लिए सरलता से ऋण दिलाना,
22. पारदर्शी एवं ठोस स्थानान्तरण नीति बनाना,
23. वित्तीय अनियमितता पर रोक लगाना,
24. सरकारी भर्ती में पारदर्शिता अपनाना,
25. बी0टी0सी0 की परीक्षा तत्काल शुरू करना,
26. शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करना,
27. शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाना एवं प्रदेश से शराब माफियाओं को खदेड़ना,
28. सड़कों के घटिया डामरीकरण की जांच करना,
29. पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में जल संचय योजना पर बल देना,
30. आग एवं बाघ से जनमानस को सुरक्षा प्रदान करना,
31. मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करना एवं कालाबाजारी को समाप्त करना,
32. रसोई गैस, चीनी, मिट्टी तेल के संकट को हल करना,
33. अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय, बी0पी0एल0 का खाद्यान्न वितरण समय पर सही ढंग से करना,
34. प्रदेश के 13 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करना,
35. गरीबों को कुटीर ज्योति की सुविधा प्रदान करना,
36. लघु सिंचाई द्वारा निर्मित की गयी बरसाती गूलों की जाँच करना,
37. उत्तरांचल राज्य आन्दोलनकारियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेना,
38. व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा आचार्यों, अनुदेशक, विजिटिंग प्रवक्ताओं, शिक्षा मित्रों, शिक्षा बन्धुओं तथा पी0टी0ए0 (शिक्षकों) का नियमितिकरण करना,

39. पैरामेडिकल फार्मेसिस्टों को नियुक्ति देना,

40. विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, संविदा में कार्यरत कर्मचारियों, तदर्थ एवं नियत वेतनमान कर्मचारियों का नियमितिकरण करना,

41. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं विकलांगों के आरक्षित पदों को भरना,

42. टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या का निराकरण करना,

43. पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, मण्डी परिषद् भर्ती, वार्ड ब्वाय भर्ती में अनियमितताओं का श्वेत–पत्र जारी करना,

44. बेरोजगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना,

45. अफसरशाही पर नकेल लगाना,

46. घोटालों पर श्वेत–पत्र जारी करना,

47. गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का बी0पी0एल0 कार्ड बनाना,

48. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम–1980 को लचीला बनाना,

49. प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक केन्द्रों को विकसित करना,

50. आधी–अधूरी जल विद्युत परियोजनाओं एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्रदेश एवं राष्ट्रीय हित में चालू करना,

51. वर्ष 1992 एवं 1999 के विनाशकारी भूकम्प से पीड़ित कृषकों का राहत बांटना,

52. मोटर मार्ग निर्माण में कृषकों की भूमि के कटाव–दबाव का मुआवजा लोक निर्माण विभाग से दिलाना,

53. कृषकों को उनके अनाजों/फलों, गन्ने का उचित मूल्य दिलाना,

54. ऋषिकेश में 'एम्स' तथा श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज शीघ्र खोलना,

55. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृति को रोकना,

56. ठोस खनन नीति एवं ठोस आबकारी नीति से प्रदेश का राजस्व बढ़ाना,

57. उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के भेड़ पालकों को ऊन का उचित मूल्य दिलाना,

58. प्रदेश की चीनी मिलों को घाटे से उबारना,

59. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाना,

60. दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में अस्पताल, सड़क एवं कॉलेज खोलना,

61. माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना,

62. लम्बे समय से जल संस्थान में कार्यरत पी0टी0ए0 श्रमिकों का नियमितिकरण करना,

63. लेखानुदान के बजाय पूर्ण बजट फरवरी/मार्च, 2006 में पेश करना, तथा

64. स्वीकृत मोटर मार्गों एवं पुलों का निर्माण तत्काल करना।]

श्री अध्यक्ष–

श्री मातबर सिंह कण्डारी जी का भाषण जारी रहेगा। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये गये सभी संशोधन उपस्थित माने जाएंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री गगन सिंह रजवार, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री अनिल नौटियाल तथा श्री नारायण पाल की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से राज्य महिला डेयरी फैडरेशन की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रकाश पंत की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा राज्य में आवास एवं विकास परिषद् का गठन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 05 बजकर 21 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून, महेश चन्द्र

सचिव, विधान सभा,

दिनांक 23 मार्च, 2006 उत्तरांचल।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 वि0स0/577–13–12–2007–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।